संख्या - 11(1) - 1(छात्रवृत्ति) / 2013 / 64 - 2 - 2013

प्रेषक,

अशोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2.समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3.समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग--2 लखनऊ दिनांकः 08 जनवरी,2013

विषयः उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली, 2012 के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासनादेश संख्या 728/64-2-2012 दिनांक 23 नवम्बर,2012 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु वर्ष 2012-13 के लिए दिशा-निर्देश को अतिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राओं, जिनके अभिभावकों की आय रू0 2.00 लाख वार्षिक से अधिक न हो, को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के संबंध में संलग्न कार्यालय ज्ञाप संख्या--11--1(छात्रवृत्ति)/2013/64-2-2013,दिनांक 08 जनवरी,2013 द्वारा "उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना नियमावली--2012" जारी की गयी है। राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित यह नियमावली इस पत्र के साथ मूलरूप से संलग्न की जा रही है। इस नियमावली के प्राविधान माह जुलाई,2012 से प्रारम्भ शिक्षण सत्र से लागू होंगे। अतः नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जायेगी।

2- समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के संबंध में जारी शासनादेश संख्या--2207(2)/26-3-2012-4(358)/07-टी0सी0-2 दिनांक 26 सितम्बर,2012 द्वारा मास्टर डाटाबेस में संस्थाओं एवं पाठ्यकमों के पंजीकरण हेतु 31 अक्टूबर,2012 की अन्तिम तिथि निर्धारित की गयी थी। अतः प्रदेश के संबंधित शिक्षण संस्थओं एवं पाठ्यकमों के पंजीकरण का कार्य 31 अक्टूबर, 2012 तक पूर्ण हो चुका है। यही डाटवेस अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए भी मान्य होगा। संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग की नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत "अन्य पिछड़े वर्ग" के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा

------ 2 ------

(देवाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव
सहकारिता एवं कृषि विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

(निखिल चन्द्र शुक्ला)
विशेष सचिव
कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान
उ0 प्र0 शासन।

प्रदान किये जाने के संबंध में कार्यवाही हेतु निम्नवत् समय सारणी निर्धारित की जा रही है -

क0सं0	नियमावली के अनुरूप प्रक्रियात्मक कार्यवाही	अन्तिम तिथि
1.	संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जाना	31 जनवरी,2013
2.	शिक्षण संस्थाओं के प्रमुख द्वारा अपनी संस्तुति शिक्षा विभाग के संबंधित जनपदीय/क्षेत्रीय अधिकारी को प्रेषित किया जाना तथा शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारी द्वारा संस्था व पाठ्यक्रम की प्रमाणिकता के संबंध में अपनी संस्तुति "छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति" को प्रेषित किया जाना	15 फरवरी,2013
3.	"छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति" के स्वीकृत आदेश सहित जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को सूचित किया जाना तथा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि संबंधित छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में अंतरित किया जाना	28 फरवरी,2013
4.	छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के प्रथम चरण का साफ्टवेयर/वेबसाइट को एन0आई0सी0, लखनऊ द्वारा लॉक करने की तिथि	28 फरवरी,2013

3– उपरोक्त समय–सारिणी के अनुसार छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण सुनिश्चित किया जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि अन्तिम तिथि के पूर्व ही विहित कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय। अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा आदि में सम्मिलित होने के पश्चात अगले सेमेस्टर में जाने वाले छात्रों को दूसरे सेमेस्टर की शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय चरण में जनरेट कराकर बेवसाइट पर अलग से निर्मित साइट पर अपलोड करा के उपरान्त निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण से धनराशि की मांग की जायेगी। द्वितीय चरण की धनराशि भी 01 फरवरी,2013 तक वेबसाइट पर अपलोड कर दी जायेगी तथा स्वीकृत की गई धनराशि संबंधित छात्र/छात्राओं के खाते में दिनांक 28 फरवरी,201 तक अवश्य अंतरित कर दी जायेगी।

4– चूँकि वर्तमान वित्तीय वर्ष को समाप्त होने में मात्र 03 माह शेष हैं और स: कार्यवाही मार्च,2013 के पहले पूरी कर ली जानी है, जैसा कि नियमावली में व्यवस्था है अतः प्रथम चरण और द्वितीय चरण की धनराशि की Processing एक साथ ही क ली जाय और पात्र और अर्ह छात्र/छात्राओं को प्रथम और द्वितीय चरण की धनरा प्रत्येक दशा में 28 फरवरी,2013 तक उनके खातों में स्थानान्तरित करना सुनिश्चि किया जाय।

----- 3 --

5– प्रदेश के बाहर स्थित संस्थाओं के संबंध में जनपद स्तर पर अलग से छात्र/छात्राओं का विवरण तैयार कराया जायेगा तथा नियमानुसार शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य करायी जायेगी।

कृपया संलग्न नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन करते हुए छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि वितरित कराने का कष्ट करें।
संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या–11(1)(2)–1(छात्रवृत्ति)/2013/64–2–2013 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/न्याय/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषिशिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इसकी प्रतियां समस्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को ई–मेल के माध्यम से भेजें।
4. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण।
5. समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(घनश्याम मिश्र)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनु–2

संख्या–11–1(छात्रवृत्ति)/2013/64–2–2013

लखनऊ: दिनांक 08 जनवरी,2013

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली, 2012

1	नाम		यह नियमावली उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली, 2012 कहलायेगी।
2	उद्देश्य		इस योजना का मुख्य उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या सेकेन्ड्री के बाद की कक्षाओं में विभिन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब माता–पिता/अभिभावकों के आश्रित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करना है।
3	प्रसार/विस्तार		इस नियमावली से सम्पूर्ण भारत वर्ष में पढ़ने वाले वे छात्र/छात्रायें आच्छादित होंगे, जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी/मूल निवासी हों।
4	प्रारम्भ होने की तिथि		यह नियमावली माह जुलाई, 2012 से प्रारम्भ होने वाले वर्तमान शिक्षण सत्र से प्रवृत्त होगी।
5.	परिभाषा	(i) केन्द्र सरकार	"केन्द्र सरकार" का तात्पर्य भारत सरकार से है।
		(ii) राज्य सरकार	"राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।
		(iii) अभ्यर्थी	"अभ्यर्थी" का तात्पर्य किसी ऐसे विद्यार्थी से है, जो उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था के अन्तर्गत संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में संस्थागत विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो। ऐसे अभ्यर्थी जो पत्राचार के पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, इसके लिए अर्ह होंगे। पत्राचार में सुदूर एवं अनुवर्ती शिक्षा शामिल है।
		(iv) शिक्षण संस्था व पाठ्यक्रम	"शिक्षण संस्था" का तात्पर्य विधि द्वारा स्थापित अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से है व पाठ्यक्रम का तात्पर्य संबंधित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में संचालित सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता

प्राप्त पाठ्यक्रम से है।

(v) अन्य पिछड़ा वर्ग	"अन्य पिछड़ा वर्ग" का तात्पर्य उन जाति समूहों से है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग तथा सामान्य वर्ग के अन्तर्गत न आते हों। अल्पसंख्यक श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से आच्छादित होंगे।
(vi) बैंक	"बैंक" का तात्पर्य किसी ऐसे राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से है, जिसमें कोर बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध हो।
(vii) शैक्षणिक सत्र	"शैक्षणिक सत्र" का तात्पर्य किसी वर्ष विशेष में समय के ऐसे निर्धारित अन्तराल से है, जिसके अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्धारित नीति के अनुसार शिक्षण कार्य सम्पन्न किया जाता हो।
(viii) फ्री सीट	केन्द्र अथवा राज्य के सक्षम प्राधिकारी स्तर से आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से या मेरिट की निर्धारित प्रकिया के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सीट।
(ix) पेड सीट	केन्द्र अथवा राज्य के सक्षम प्राधिकारी स्तर से आयोजित प्रवेश परीक्षा से इतर अथवा प्रबन्धकीय कोटे एवं स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रम आदि में भरी गयी सीट।
(x) छात्रवृत्ति का मूल्य	सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में छात्रवृत्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित देय धनराशियाँ सम्मिलित होंगी:– (क) अनुरक्षण भत्ता (ख) अनिवार्य वापस न होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति (ग) अध्ययन दौरा खर्च (घ) शोध कार्य का टंकण/मुद्रण खर्च (च) पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए पुस्तक भत्ता (छ) विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त भत्ता।
(xi) शुल्क/फीस	(क) "शुल्क" का तात्पर्य ऐसी अनिवार्य धनराशि से है, जो अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड को भुगतान किया जाता है, तथापि जमानती जमा राशि जैसी वापस की जाने वाली धनराशि इसमें शामिल नहीं होगी। शुल्क के अन्तर्गत प्रवेश/पंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा, खेल, यूनियन, लाइब्रेरी, पत्रिका, चिकित्सा जाँच और ऐसे अन्य

अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क आदि शामिल होंगे।

(ख) जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यकमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शक्ति केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यकमों की फी एवं पेड सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। तथापि पेड सीटों के सापेक्ष छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करते समय छात्र द्वारा संलग्न किये गये आय–प्रमाण पत्र में दर्शायी गयी आय की जांच अनिवार्य रूप से की जायेगी।

(ग) जिन निजी क्षेत्र के संस्थानों में सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यकमों में छात्रों से ली जाने वाली शुल्क के निर्धारण की शक्ति स्वयं शिक्षण संस्थान को प्राप्त है, उन पाठ्यकमों में अध्ययनरत छात्रों को प्रदेश के किसी अन्य निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थान में उसी पाठ्यकम में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा संबंधित संस्था द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की धनराशि, जो भी कम हो, भुगतान की जायेगी।

(घ) जो निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थान अपने यहां संचालित पाठ्यकमों के शुल्क निर्धारण हेतु सक्षम प्राधिकारी से अधिकृत नहीं हैं व पाठ्यकम के शुल्क भी सक्षम प्राधिकारी स्तर से निर्धारित नहीं हैं, उन संस्थानों में संचालित पाठ्यकमों हेतु प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निर्धारित प्रतिपूर्ति दर अथवा संस्थान द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की धनराशि, जो भी कम हो, भुगतान की जायेगी।

छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के अभ्यर्थी निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन पात्र होंगें :–

(i) केवल वे ही उम्मीदवार इसके पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित हों अर्थात स्थाई निवासी हों एवं जो उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित हों और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेन्ड्री या इससे कोई उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

(ii) यह छात्रवृत्तियां निम्नलिखित अपवादों को छोडकर मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पढ़ाये जाने वाले सभी मान्यता

प्राप्त मैट्रिकोत्तर या सेकेन्ड्री के बाद के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए दी जायगी :--

(क) विमान अनुरक्षण इंजीनियर पाठ्यक्रमों
(ख) निजी विमान चालक लाइसेंस पाठ्यक्रमों
(ग) ट्रेनिंग शिप डफरिन (अब राजेन्द्रा) के पाठ्यक्रमों
(घ) सैनिक महाविद्यालय
(च) देहरादून के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों
(छ) अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है।

(iii) ऐसे अभ्यर्थी, जिनके माता–पिता अथवा अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा से अधिक न हो।

(iv) ऐसे अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जो शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय में अध्ययन करने लगें। उदाहरणार्थ–इण्टर आर्टस् करने के बाद इण्टर साईंस करने लगें या बी0ए0 करने के बाद बी0काम करने लगें, या एक विषय में एम0ए0 करने के बाद किसी दूसरे विषय में एम0ए0 करने लगें।

(v) ऐसे छात्र, इसके पात्र नहीं होंगे, जो किसी एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम में शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद किसी दूसरे व्यावसायिक पाठ्यक्रम में शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के लिए अध्ययन करने लगें, जैसे– बी0टी0/बी0एड0 के बाद एल0एल0बी0 करने लगें। शैक्षिक वर्ष 1980–81 से दो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने की अनुमति है।

(vi) सतत स्कूल पाठ्यक्रम होने के कारण बहुद्देशीय हाईस्कूल की 12वीं कक्षा के हायर सेकेन्ड्री स्कूल पाठ्यक्रमों की 11वी कक्षा के छात्र इसके पात्र नहीं होंगे, तथापि, उन मामलों में, जहां ऐसे पाठ्यक्रमों की 10वी कक्षा की परीक्षा मैट्रीकुलेशन के समकक्ष मानी जाती हो, और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात छात्रों ने अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लिया हो, ऐसे छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्र समझा जायेगा।

(vii) यदि विद्यार्थी इन्टर्नशिप अवधि के दौरान कुछ पारिश्रमिक अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान कुछ भत्ता या वजीफा पा रहें हैं तो एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में इन्टर्नशिप/हाऊस मैनशिप की अवधि के लिए अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(viii) चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्र इसके पात्र होंगे, यदि उनके पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान उन्हें प्रैक्टिस करने की अनुमति न दी गयी हो।

किसी भी मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या इससे ऊपर के पाठ्यक्रम में सरकारी वृत्तिका(स्टाइपेन्ड) अथवा फेलोशिप पाने वाले छात्र/छात्राएं इसके लिए अर्ह नहीं होंगे।

(ix) ऐसे छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जायेंगी, जिन्होंने कला/विज्ञान/वाणिज्य में स्नातक पूर्व/स्नातकोत्तर परीक्षा अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त व्यावसायिक या तकनीकी प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया हो, बशर्ते कि वह अन्यथा इसके पात्र हों। उसके बाद समूह–1 (परिशिष्ट क में अंकित समूह) के पाठ्यक्रमों को छोड़कर अनुत्तीर्ण होने पर छूट नहीं दी जायेगी।

(x) उन रोजगार प्राप्त छात्रों को सभी अनिवार्य रूप से देय वापस न की जाने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति की सीमा तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए पात्र बनाया गया है, जिनकी स्वयं की व उनके माता–पिता अथवा संरक्षकों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय अधिकतम निर्धारित वार्षिक आय सीमा से अधिक न हो।

(xi) एक ही माता–पिता अथवा संरक्षक के सभी बच्चे योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(xii) इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति पाने वाला कोई भी छात्र अन्य छात्रवृत्ति या वजीफा नहीं लेगा। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति या वजीफा प्रदान किया गया हो तो छात्र छात्रवृत्ति या वजीफा दोनों में से किसी एक के लिए जो भी उसके लिए अधिक लाभप्रद हो, अपना विकल्प दे सकता है और दिये गये विकल्प के बारे में सूचना संस्था प्रमुख के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदानकर्ता अधिकारी को देनी चाहिए। छात्र/छात्रा को उस तारीख से, जिससे वह दूसरी छात्रवृत्ति या वजीफा स्वीकार करता/करती है, इस योजना के अधीन किसी भी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा तथापि, छात्र राज्य सरकार से या किसी अन्य स्रोत से पुस्तकें, उपकरण खरीदने या आवास तथा भोजन व्यवस्था पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए इस योजना के अधीन भुगतान की गयी छात्रवृत्ति की रकम के अतिरिक्त निःशुल्क भोजन या अनुदान या तदर्थ आर्थिक सहायता स्वीकार कर सकता है।

(xiii) वे छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता, जो केन्द्र/राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के साथ किसी परीक्षा–पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में कोचिंग प्राप्त कर रहें हैं, कोचिंग कार्यक्रम की अवधि के लिए कोचिंग योजनाओं के अन्तर्गत वजीफे के पात्र नहीं होंगे।

(xiv) जब तक माता पिता में से कोई एक (अथवा विवाहित बेरोजगार के मामले में पति) जीवित हैं, तब तब माता–पिता/पति जैसी भी स्थिति हो, की सभी स्रोत से प्राप्त आय को ही लिया जायेगा, न कि अन्य सदस्य

(xv)

की आय को, चाहे वह कमाने वाले ही क्यों न हों। आय घोषणा प्रपत्र में इसी आधार पर आय की घोषणा करना अपेक्षित है। केवल उस मामले में जब माता–पिता दोनों (अथवा विवाहित किन्तु बेरोजगार मामले में पति) की मृत्यु हो जाती है तो उस संरक्षक की आय को लेना होगा, जो विद्यार्थी की पढ़ाई में सहायता कर रहा है। ऐसे छात्र जिनके माता–पिता की आय दुर्भाग्यवश किसी एक की मृत्यु के कारण प्रभावित होती है और इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित आय–सीमा में आ जाती है तो ऐसी दुःखद घटना होने वाले महीने से वह छात्रवृत्ति का पात्र बन जायेगा, बशर्ते वह छात्रवृत्ति की अन्य शर्ते पूरी करता हो, ऐसे छात्रों से छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन पर अनुकम्पा के आधार पर, आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को समाप्त होने के पश्चात भी विचार किया जा सकता है।

7– मूल निवास का अनुमन्य साक्ष्य

मूल निवास के सम्बन्ध में, आवेदक के निवास की तहसील के उपजिलाधिकारी के स्तर से जारी किया गया 'सामान्य निवास प्रमाण–पत्र मान्य होगा, जो राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो।

8– माता–पिता/अभिभावकों की आय के संबंध में अनुमन्य साक्ष्य

माता–पिता अथवा अभिभावकों की आय के सम्बन्ध में निम्नलिखित साक्ष्य अनुमन्य होंगे :–

(i) माता–पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, के नौकरी में होने की दशा में उनके नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त अतिरिक्त आय को रू0 10/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर घोषित करते हुए शपथ–पत्र के माध्यम से देना होगा।

(ii) अभ्यर्थी के माता–पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, उनके नौकरी में न होने की दशा में समस्त स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय के सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण–पत्र, जो राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो।

(iii) अभ्यर्थी के माता–पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, द्वारा लिये जाने वाले मकान किराये भत्ते को "आय" में शामिल नहीं किया जायेगा, यदि इसे आयकर के प्रयोजन के लिए छूट की अनुमति की गयी हो।

(iv) आय प्रमाण–पत्र केवल एक बार अर्थात एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रमों में दाखिले के समय ही लिया जायेगा अर्थात् एक वर्ष से अधिक वर्ष के पाठ्यक्रम की समाप्ति तक पुनः आय–प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता न होगी। परन्तु यदि नये पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जाता है तो पुनः आय प्रमाण–पत्र देना होगा।

(v) जमा किये जाने वाले आय प्रमाण–पत्र की वैधता उस शैक्षणिक सत्र वर्ष की पहली जुलाई को अवधारित की

जायेगी।

9– मास्टर डाटाबेस व संस्थाओं का पंजीकरण कोर्स मास्टर में	(i)	मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के नाम व विवरण समाज कल्याण विभाग द्वारा शिक्षण संस्थाओं के संदर्भ में संचालित 'मास्टर डाटा बेस' में तथा पाठ्यकमों के संबंध में संचालित 'कोर्स मास्टर' में निर्धारित समय सीमा तक शामिल होने पर ही ऐसी संस्थाओं के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति देय होगी।
	(ii)	जनपद स्तर पर निर्धारित तिथि तक शैक्षणिक संस्थाओं के नाम मास्टर डाटा बेस में जिलाधिकारी की अनुमति से जोड़े जा सकेंगे। निर्धारित तिथि तक छूट गयी संस्थाओं के सम्बन्ध में उपयुक्त कारण दर्शाये जाने की दशा में जिलाधिकारी की संस्तुति पर एवं निर्धारित तिथि के पश्चात् नवीन मान्यता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के नाम मास्टर डाटा बेस में निर्धारित तिथि से एक माह के अन्दर मण्डलायुक्त की अनुमति से जोड़े जा सकेंगे। इसके पश्चात डाटाबेस में प्रविष्टि की अनुमति देने का अधिकार केवल शासन को होगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई पात्र संस्था छूटने न पाये तथा कोई गलत संस्था मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित न हो सके।
10 – अनुरक्षण भत्ता की निर्धारित दरें	(i)	दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली के अन्तर्गत समय-समय पर निर्धारित समूहवार पाठ्यकमवार अनुरक्षण भत्ता की दर व विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त सुविधा व अन्य दरों का जो प्रावधान किया गया है, वह तद्नुरूप लागू रहेगा, जो संलग्नक परिशिष्ट "क" में अंकित है।
	(ii)	उन छात्रों को जो निःशुल्क भोजन और/या निःशुल्क आवास के पात्र हैं व सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं उनको अनुरक्षण भत्ता की दरों का 1/3 अनुरक्षण व्यय दिया जायेगा।
11 – छात्र को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु शिक्षण संस्थाओं की वरीयता क्रम का निर्धारण	(i)	छात्रवृत्ति हेतु अर्ह छात्रों को छात्रवृत्ति/अनुरक्षण भत्ता एकमुश्त भुगतान किया जायेगा।
	(ii)	जिन पाठ्यक्रमों में वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश मिलने की व्यवस्था हो, शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि एक मुश्त भुगतान की जायेगी।
	(iii)	जिन पाठ्यक्रमों में वार्षिक परीक्षा से भिन्न अन्तराल पर होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने के आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश मिलने की व्यवस्था हो, प्रत्येक कक्षा में प्रवेश हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति प्रवेश पाने की पुष्टि के बाद ही की जायेगी। उदाहरण के तौर पर इंजीनियरिंग में सेमेस्टर सिस्टम लागू होने की दशा में प्रत्येक सेमेस्टर की शुल्क प्रतिपूर्ति उस सेमेस्टर में प्रवेश पा लेने के बाद ही की जायेगी।

(iv) सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित वरीयता क्रम में शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति उनके द्वारा बैंक में खोले गये बचत खाते में सीधे अन्तरित करके की जायेगी :–

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभागों/निकायों द्वारा संचालित राजकीय शिक्षण संस्थानों व राजकीय स्वायत्तशासी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।

(ख) केन्द्र अथवा राज्य सरकार से शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।

(ग) निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है, में फ्री सीट के सापेक्ष प्रवेश पाकर अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।

(घ) निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है, में पेड सीट के सापेक्ष प्रवेश पाकर अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।

(च) निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है, किन्तु संस्थान अपने यहां संचालित पाठ्यक्रम की शुल्क संरचना स्वयं निर्धारित किये जाने हेतु अधिकृत हैं उनमें अध्ययनरत छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति प्रथम आवत प्रथम पावत व्यवस्थानुसार बजट की उपलब्धता की सीमा तक।

नोटः– 1– उपरोक्त (क) से (घ) तक की संस्थाओं के छात्रों को संतृप्त करनें के पश्चात् ही धनराशि अवशेष रहने पर उपलब्ध बजट की सीमा तक उपरोक्त (च) से संबंधित छात्र/छात्राओं को भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

2– प्रत्येक शैक्षाणिक सत्र की देनदारियां उसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समाप्त मानी जायेंगी एवं अग्रेणीत नहीं होंगी।

3– भारत सरकार की किसी अन्य योजना से छात्रवृत्ति अथवा शुल्क प्रतिपूर्ति पाने वाले छात्र/छात्राओं को इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रकिया

(i) इस योजना में अर्ह छात्रों को सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। छात्रों द्वारा प्रवेश के समय संस्था की नियमानुसार फीस/शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। इस नियमावली/योजना में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था नहीं रहेगी। राज्य सरकार द्वारा बजट सीमा

के अन्तर्गत एवं नियमावली की प्रकिया के अन्तर्गत छात्र /छात्रा को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमानुसार छात्र/छात्रा के बैंक खाते में Reimburse की जायेगी।

(ii) दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने हेतु पात्र छात्र परिशिष्ट "ख" पर संलग्न निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर सूचनाएं भरकर दो प्रतियाँ परिशिष्ट "ग" के अनुसार सभी वांछित संलग्नकों सहित परिशिष्ट "घ" के अनुसार शपथ-पत्र सम्बन्धित शिक्षण संस्था में निर्धारित अन्तिम तिथि तक प्रस्तुत करेगा, जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट "च" के अनुसार शिक्षण संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी।

(iii) अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये आवेदन-पत्र में संलग्न आय व निवास प्रमाण-पत्रों का सत्यापन राजस्व विभाग की वेबसाईट से, तथा अन्य प्रमाण-पत्रों का मिलान मूल प्रमाण-पत्रों से शिक्षण संस्थान स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए शिक्षण संस्था पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। आवेदन-पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का मिलान किये जाने के उपरान्त सही एवं अर्ह पाये गये आवेदन-पत्रों पर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु संस्तुति संस्था स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा की जायेगी।

1-संस्था प्रमुख/निदेशक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य- अध्यक्ष
2-संस्था के वरिष्ठतम् प्राध्यापक - सदस्य
3-संस्था के वरिष्ठतम् अन्य पिछड़ा वर्ग के प्राध्यापक- सदस्य

अथवा

संस्था के वरिष्ठतम् अनुसूचित जाति के प्राध्यापक

अथवा

उस संस्था का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित सामान्य श्रेणी का कोई प्राध्यापक

(iv) उपरोक्त समिति पर संस्तुत छात्रों का निर्धारित विवरण विभाग द्वारा तैयार कराये साफ्टवेयर के डाटाबेस में फीड करनें का उत्तरदायित्व संस्था का होगा। डाटा की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व भी संस्था का ही होगा। फीड कराये गये डाटा की हार्ड एवं साफ्ट कापी (सी0डी0) के साथ परिशिष्ट "छ" के अनुसार सत्यापन प्रमाण-पत्र तथा परिशिष्ट "ज" के अनुसार रू0 10/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र सहित संस्था के प्रमुख द्वारा अपनी संस्तुति शिक्षा विभाग के संबंधित सक्षम जनपदीय या क्षेत्रीय अधिकारी को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी।

(v) प्रत्येक छात्र के संबंध में आवेदन पत्र की प्रति संबंधित शिक्षण संस्था के कार्यालय में 10 वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी।

(vi) शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा संस्था व पाठ्यकमों की प्रमाणिकता एवं आवेदकों की संख्या का परीक्षण किया जायेगा। इसके पश्चात् उपर्युक्त डाटा की हार्ड कापी एवं साफ्ट कापी(सी0डी0) अपनी संस्तुति सहित निर्धारित तिथि से पूर्व छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को प्रेषित की जायेगी।

(vii) जनपद स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग की दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु निम्न समिति गठित की जाती है :–

1– जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी अथवा अपर जिला अधिकारी	अध्यक्ष
2– जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
3– जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी	सदस्य सचिव

यह समिति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति कही जायेगी, जो इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान करेगी।

(viii) छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति की स्वीकृति के उपरान्त संबंधित डाटा की हार्ड कापी एवं साफ्ट कापी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के स्वीकृत आदेश सहित निर्धारित तिथि से पूर्व जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को प्राप्त करायी जायेगी। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति के साफ्टवेयर पर डाटा को प्रोसेस कराकर निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रबन्धन प्रणाली की वेबसाइट पर अपलोड कराया जायेगा।

(ix) निर्धारित रीति से जनपदों को इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत वितरण का दायित्व भी नियम–12(vii) में अंकित छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति का होगा।

(x) अभ्यर्थी को अनुमन्य छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि शैक्षणिक संस्था के समीपस्थ स्थित बैंक में खोले गये उसके बचत खाते में सीधे अन्तरित की जायेगी। शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान प्रति वर्ष या निर्धारित अन्तराल पर, जैसा भी लागू हो, किया जायेगा।

(xi) बैंकों का यह उत्तरदायित्व होगा कि उनको उपलब्ध कराई गई धनराशि समय से छात्रों के बैंक खातों में स्थानान्तरित करें, यदि किसी कारणवश धनराशि अवशेष रह जाती है तो उसे पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नोशनल एकाउन्ट में यथाशीघ्र वापस करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा वापस की जा रही धनराशि का छात्रवार पूर्ण विवरण जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा वापस प्राप्त धनराशि के विवरण को

तत्काल जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत कराकर उत्पन्न समस्याओं का निराकरण कराया जायेगा। इस समस्या के निराकरण हेतु जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

13 भुगतान व्यवस्था

(i) संस्था में अध्ययनरत अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र जमा करना होगा। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।

(ii) जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी व जिला सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा सत्यापनोपरान्त दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रथम किश्त की धनराशि प्रथम चरण में जनरेट कराकर वेबसाइट पर अपलोड कराकर निर्धारित तिथि के अन्दर मांग की जायेगी तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि को दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के प्रथम चरण का साफ्टवेयर एवं वेबसाइट को राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा लॉक कर दिया जायेगा।

(iii) एन0आई0सी0 में अपलोड कराये गये छात्रवृत्ति डाटा के आधार पर साफ्टवेयर द्वारा तैयार किये गये अनुसूची के द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं निर्धारित देय शुल्क की धनराशि की प्रथम किस्त सम्बन्धित छात्र के बैंक खाते में निर्धारित तिथि तक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा अवश्य अन्तरित करा दी जायेगी। उस वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के पश्चात् परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा आदि में सम्मिलित होने के पश्चात् अगले सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं की दूसरे सेमेस्टर की शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय चरण में जनरेट कराकर वेबसाइट पर अलग से निर्मित साफ्टवेयर पर अपलोड कराकर प्रदर्शित होने पर निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण से मांग की जायेगी। शुल्क प्रतिपूर्ति की केवल द्वितीय चरण की धनराशि को ही वेबसाइट पर निर्धारित तिथि तक संबंधित साफ्टवेयर पर अपलोड किया जायेगा व उक्त साफ्टवेयर को निर्धारित तिथि पर एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा पूर्णतया लाक कर दिया जायेगा। द्वितीय चरण की माँग की धनराशि निर्धारित अंतिम तिथि तक जनपदों को प्रेषित की जायेगी। किसी भी जनपद की जंक डाटा आदि के निवारण के पश्चात दशमोत्तरं छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति को वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अपरिहार्य हो, तो संबंधित प्रकरण में निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश की अनुमति के पश्चात राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा अपलोड की कार्यवाही की जायेगी।

(iv) शुल्क प्रतिपूर्ति की द्वितीय चरण की धनराशि को जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा यथासम्भव माह–मार्च के अंत से पूर्व छात्रों के बैंक खाते में अन्तरित करायी

जायेगी।

(v) दशमोत्तर छात्रवृत्ति 01 अप्रैल अथवा नामांकन के महीने, जो भी बाद में हो, से शैक्षणिक वर्ष के अन्त में उस महीने तक जिसमें परीक्षायें पूरी होती हैं, देय होंगे। बशर्ते यदि विद्यार्थी किसी महीने के 20 तारीख के बाद नामांकन कराता है तो राशि नामांकन के महीने के बाद आने वाले महीने से दी जायेगी।

(vi) गतवर्ष दी गयी छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के मामले में, यदि पाठ्यक्रम जारी रहता है तो छात्रवृत्ति उस महीने के अगले महीने से दिया जायेगा, जिस महीने तक गत वर्ष भुगतान किया गया था।

14 – छात्रवृत्ति की अवधि व नवीनीकरण

(i) एक बार दी गयी छात्रवृत्ति उसको दिये जाने के चरण से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक देय होगी। बशर्ते कि छात्र का आचरण अच्छा रहे तथा उपस्थिति में नियमितता रहे। यह छात्रवृत्ति वर्षानुवर्ष नवीनीकृत होगी, परन्तु शर्त यह है कि एक ऐसे पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में जो अनेक वर्षो तक सतत चलता रहता है, छात्र हर वर्ष उत्तीर्ण होकर उच्चतर कक्षा में पहुंचता रहे। परीक्षायें भले ही विश्वविद्यालय द्वारा ली जाए अथवा संस्था द्वारा। किसी भी स्थिति में पाठ्यक्रम की अवधि से अधिक की छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।

(ii) समूह–1 के पाठ्यक्रम वाला छात्र यदि पहली बार परीक्षा में असफल रहता है तो छात्रवृत्ति का नवीनीकरण किया जा सकता है। किसी भी कक्षा में दूसरी बार अथवा तत्पश्चात असफल होने पर विद्यार्थी को अपना खर्च तब तक स्वयं वहन करना होगा जब तक अगली उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत नहीं हो जाता।

(iii) यदि छात्र अस्वस्थता अथवा किसी अन्य अप्रत्याशित घटना के कारण परीक्षा में बैठने में असमर्थ रहता है तो चिकित्सा प्रमाण–पत्र तथा/ अथवा संस्था के प्रमुख की संतुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करने पर तथा उसके द्वारा (संस्था के प्रमुख) यह प्रमाणित करने पर कि यदि छात्र परीक्षा में बैठता तो वह उत्तीर्ण हो जाता, छात्रवृत्ति अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए नवीनीकृत की जायेगी।

(iv) यदि विश्वविद्यालय/संस्था के विनियमों के अनुसार एक छात्र को अगली उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाता है, चाहे वह निचली कक्षा में वास्तविक रूप में उत्तीर्ण न हुआ हो, तथा उसके द्वारा निचली कक्षा में कुछ समय पश्चात दोबारा परीक्षा देना अपेक्षित हो, तो यदि वह विद्यार्थी अन्यथा छात्रवृत्ति के लिए पात्र हो तो वह उस कक्षा में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति पाने का हकदार होगा, जिस कक्षा में उसे प्रोन्नत किया गया है।

15 – छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए अन्य शर्ते

(i) छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति अभ्यर्थी की संतोषजनक प्रगति एवं आचरण पर निर्भर है। यदि किसी समय संस्थान प्रमुख द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई अभ्यर्थी स्वयं अपने आचरण अथवा चूक के कारण संतोषजनक प्रगति करने में असफल रहा है अथवा उसे दुर्व्यवहार जैसे– हडताल करने

या उसमें भाग लेने, सम्बन्धित प्राधिकारियों की अनुमति के बगैर उपस्थिति में अनियमितता आदि का दोषी पाया गया है तो छात्रवृत्ति संस्वीकृत करने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृत्ति रद्द कर सकता है अथवा रोक सकता है या ऐसी अवधि, जो वह उचित समझे, तक के लिए आगे का भुगतान रोक सकता है।

(ii) यदि यह पाया जाता है कि छात्र ने झूठी घोषणा से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त की है तो उसकी छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति तुरन्त रद्द कर दी जायेगी और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अपने विवेक से भुगतान की गयी छात्रवृत्ति की धनराशि वसूल कर सकेगा। सम्बन्धित छात्र को काली सूची में सूचीबद्ध किया जायेगा और किसी भी योजना में छात्रवृत्ति से हमेशा के लिए वंचित कर दिया जायेगा तथा छात्र के विरूद्ध उचित धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(iii) प्रदत्त छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति रद्द की जा सकती है, यदि छात्र उस पाठ्यकम का विषय बदल देता है, जिसके लिए वह छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति मूलतः दी गयी थी, अथवा छात्र राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन बगैर अध्ययन की संस्था को बदल लेता है। संस्था प्रमुख ऐसे मामलों के बारे में विभाग को सूचित करेगा ताकि विभाग छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान रोक देगा। राज्य सरकार के विवेक से पहले भुगतान की गयी धनराशि भी वसूल की जा सकती है।

(iv) छात्र द्वारा यदि अध्ययन वर्ष के दौरान यदि वह अध्ययन जिसके लिए वह छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति दी गयी है, छोड़ दिया जाता है तो विभाग के निर्णय पर छात्र को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि वापस करनी होगी।

16 संबंधित शिक्षा विभागों का दायित्व

(i) प्रदेश की विभिन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में पढाये जाने वाले मान्यता प्राप्त पाठ्यकमों एवं उनके शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार के प्रशासकीय शिक्षा विभाग यथा– माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, व्यवसायिक शिक्षा विभाग, कृषि शिक्षा विभाग, एवं स्टेट मेडिकल फैकेल्टी तथा यदि कोई अन्य विभाग हो तो उनके द्वारा किया जायेगा।

(ii) उपरोक्तानुसार सम्बन्धित विभागों द्वारा निर्धारित मान्यता प्राप्त पाठ्यकमों एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क का विवरण सम्बन्धित विभाग के जनपद स्तरीय/क्षेत्रीय अधिकारी अथवा संस्था द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को मास्टर डाटाबेस में अपलोड कराने हेतु अपनी संस्तुति सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) सभी संबंधित विभाग अपने विभाग के जनपद स्तरीय अथवा क्षेत्रीय अधिकारियों से नियम–12 के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।

17 जनपद स्तर पर अनुश्रवण

(i) छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण किये जाने हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत् समिति गठित की

जाती है:-

(1) जिलाधिकारी	अध्यक्ष
(2) जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति का अध्यक्ष	उपाध्यक्ष
(3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(4) जनपद में स्थित रा० विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि, यदि कोई हो	सदस्य
(5) जनपद में स्थित रा० मेडिकल कालेज के प्राचार्य, यदि कोई हो	सदस्य
(6) जनपद में स्थित रा० इंजी० कालेज के प्राचार्य, यदि कोई हो	सदस्य
(7) जनपद में स्थित किसी एक राजकीय पालीटेक्निक के प्राचार्य, यदि कोई हो	सदस्य
(8)जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
(9)जिला सूचना विज्ञान अधिकारी(NIC)	सदस्य
(10)जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
(11)जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव

(ii) उक्त समिति छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के मास्टर डाटा में संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों तथा उनके शुल्क संरचना व शुल्क निर्धारण का स्व विवेक से सत्यापन करायेगी। समिति की बैठक प्रतिमाह की जायेगी तथा प्रत्येक माह कृत कार्यवाही विषयक आख्या मासिक प्रगति रिपोर्ट के साथ निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) उक्त समिति निम्नलिखित मामलों में शत-प्रतिशत सत्यापन करायेगी --

क-- पाठ्यक्रमवार कुल अनुमोदित सीटों के सापेक्ष किसी भी पाठ्यक्रम में 27 प्रतिशत से अधिक अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों का प्रवेश लेने वाली निजी क्षेत्र की संस्थाएँ।

ख-- जिन निजी क्षेत्र की संस्थाओं की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल शुल्क प्रतिपूर्ति की माँग एक करोड़ रूपये या उससे अधिक हो।

उक्त के अतिरिक्त समिति स्व विवेक से रैण्डम आधार पर अथवा शिकायतें प्राप्त होने पर किसी भी शैक्षिक संस्था की जाँच अथवा सत्यापन भी करा सकेगी।

(iv) जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र, नियमों के अन्तर्गत न होने के कारण अस्वीकृत होते हैं, ऐसे अस्वीकृत किये गये आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा अस्वीकृति के कारणों सहित जानकारी संस्था के माध्यम से छात्रों को ससमय उपलब्ध करायी जायेगी। सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित छात्र, जिलाधिकारी को अपील कर सकेगा। जिलाधिकारी उस अपील पर सकारण लिखित आदेश पारित करेगा। जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा। पारित आदेश के अन्तर्गत अनर्ह अभ्यर्थियों को अध्ययन के लिए आवश्यक शुल्क स्वयं वहन करना होगा।

18 प्रदेश के बाहर दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति की वितरण प्रक्रिया

अन्य प्रांतों में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों को अनुरक्षण भत्ता/छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि की स्वीकृति एवं वितरण का कार्य निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा:–

(i) छात्र जिस जनपद का मूल निवासी है, उसी जनपद के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को छात्रवृत्ति आवेदन पत्र संस्था द्वारा संस्तुति सहित भेजा जायेगा। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी स्तर पर छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों, संलग्नक समस्त प्रमाण–पत्रों एवं संबंधित छात्र का स्थानीय स्थलीय सत्यापनोपरान्त स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही इस नियमावली में अंकित व्यवस्थाओं के अनुरूप उस जनपद की छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति द्वारा की जायेगी, जो नियम–12(vii) के अन्तर्गत गठित की गयी है।

(ii) ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृति से पूर्व जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित छात्र उत्तर प्रदेश की किसी शिक्षण संस्था में पंजीकृत अथवा अध्ययनरत तो नहीं है।

(iii) प्रदेश के बाहर स्थित संस्थाओं, उनमें संचालित पाठ्यक्रमों तथा छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्रों का अलग विवरण तैयार किया जायेगा। इस संबंध में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा समुचित साफ्टवेयर तैयार कराया जायेगा।

19 संशोधन का अधिकार

इस नियमावली के प्राविधानों में यथावश्यक संशोधन करने एवं किसी भी कठिनाई निवारण करने की शक्ति मा० मुख्य मंत्री जी में निहित होगी।

आज्ञा से

(अशोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट "क"

अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2012 से समूहवार पाठ्यक्रम का विवरण

समूह	पाठ्यक्रम
I	डिग्री व मास्टर डिग्री स्तर के पाठ्यकम एम0फिल0–पी0एच0डी0 समस्त चिकित्सा पद्धति के पाठ्यकम,प्रौद्योगिकी, इंजीनिरिंग, प्लानिंग, आर्किटेक्चर, डिजाइन, फैशन टेक्नालोजी, कृषि, पशुचिकित्सा, एलाइड साइंस, व्यवसाय वित्त, मैनेजमेंट, प्रशासन, कम्प्यूटर सांइस आदि पाठ्यकम, सी0पी0एल0 पाठ्यकम, मैनेजमैंट चिकित्सा के परास्नातक स्तरीय डिप्लोमा पाठ्यकम, सी0ए0, आई0सी0डब्लू0ए0, सी0एस0, आई0सी0एफ0ए0, एल0एल0एम0, डी0लिट्0, डी0एस0सी0 आदि
II	स्नातक / परास्नातक स्तरीय डिग्री, डिप्लोमा, सार्टिफिकेट पाठ्यकम यथा फार्मेसी, नर्सिंग, एल0एल0बी0, बी0एफ0एस0, पैरामेंडिकल यथा–पुनर्वास, निदान आदि, मास कम्यूनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, इंटीरियर डेकोरेशन, न्यूट्रेशन एण्ड डाइटेटिक्स, कामर्शियल आर्ट, टूरिज्म हास्पिटैलिटी, फाइनैन्शियल सर्विसेज(ई0जी0बैंकिग इंश्योरेंस, टैक्सटायेनेटिक) जिसमें न्यूनतम प्रवेश योग्यता इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष हो तथा परास्नातक पाठ्यकम जो समूह–1 में सम्मिलित न हो। यथा– एम0ए0 / एम0एस0सी0 / एम0काम / एम0एड0 / एम0 फार्मा आदि
III	समस्त स्नातक स्तरीय पाठ्यकम जो समूह–I व II में सम्मिलित न हो, यथा बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0काम आदि
IV	समस्त नान डिग्री स्तरीय कोर्स, जिनमें न्यूनतम प्रवेश योग्यता हाईस्कूल हो, आई0टी0आई0 तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स (पॉलीटेक्निक) आदि

दशमोत्तर छात्रवृत्ति की दरें (मासिक)

क0सं0	समूह	डे स्कालर	हास्टलर
1	I	550	1200
2	II	530	820
3	III	300	570
4	IV	230	380

अन्य भत्ते (एक बार)

क0सं0	विवरण	दर
1	अध्ययन दौरा	1600
2	शोध कार्य के टंकण एवं मुद्रण	1000
3	पत्राचार पाठ्यकम हेतु पुस्तक भत्ता	1200

विकलांग छात्रों हेतु मासिक भत्ता

क्र0सं0	विवरण	दर	
1	दृष्टिहीन छात्रों के लिए पाठक भत्ता	समूह–1 व 2– समूह–3– समूह–4–	240 200 160
2	यदि छात्र उस हास्टल में नहीं रहता है तो शिक्षण संस्था के परिसर में स्थित हो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अनुसार विकलांगता की परिभाषा दृष्टिहीनता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण विकलांगता, चलन संबंधी विकलांगता, मानसिक अवरूद्धता तथा मानसिक रुग्णता के रूप में की गयी है।		160
3	लो एक्सटिमिटी विकलांगता वाले अत्यधिक विकलांग दिवा छात्र के लिए आरक्षी भत्ता, किसी शिक्षण संस्था के छात्रावास में रहने वाले किसी अत्यधिक अस्थि विकलांग छात्र को, जिसे किसी सहायक की सहायता की आवश्यकता हो, सहायता प्रदान करने के इच्छुक उस छात्रावास के किसी कर्मचारी के लिए विशेष वेतन अनुमन्य होगा।		160
4	मानसिक अवरूद्ध और मानसिक रूप से रूग्ण छात्रों को अतिरिक्त कोचिंग हेतु भत्ता		240

परिशिष्ट–'ख'

अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) हेतु आवेदन पत्र

(अभ्यर्थी द्वारा भरी जाने वाली प्रविष्टियां)

भाग–1

(आवेदन पत्र हिन्दी में स्पष्ट रूप से भरा जाय)

छात्र का स्वहस्ताक्षरित व संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित फोटो

1– छात्र/छात्रा का पूरा नाम :
(हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)

2– पिता/पति का नाम :
(अ) पाठ्यक्रम का प्रकार : (संस्थागत/पत्राचार):

3– जन्मतिथि :

4– लिंग (पुरूष/महिला)

5– हाईस्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष .... बोर्ड का नाम ....

6– हाईस्कूल का अनुकमांक :

7– विद्यालय /संस्था का नाम व पता :

8-- शिक्षा सत्र ....
(प्रवेश की तिथि)..............................

9– पाठ्यकम का नाम :..........................पाठ्यकम का वर्ष...................पाठ्यकम की अवधि.........

10– अभ्यर्थी के सेवारत होने की स्थिति में व्यवसाय व वार्षिक आय ....

11– आवासीय स्थायी पता :

12– पत्र व्यवहार का पता :

13– मोबाइल नं0:

14– दूरभाष/ई–मेल (अनिवार्य)

15– पिता का व्यवसाय व वार्षिक आय.................. माता का व्यवसाय व वार्षिक आय. ....

16– विधिक अभिभावक का नाम, व्यवसाय तथा वार्षिक आय ....
(यदि माता/पिता जीवित न हों)

17– जाति.......................... उपजाति .... धर्म ....
(अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए .... कोड अंकित किया जाय)

18– जाति प्रमाण पत्र का कमांक :

19– आय प्रमाण पत्र का कमांक :

20– निवास प्रमाण पत्र का कमांक :

21– कक्षा में प्रवेश का प्रकार : (फ्री सीट/स्ववित्त पोषित या पेड सीट)

22– छात्र का खाता सं0.................... बैंक का नाम.............................शाखा का नाम..........

(शैक्षिक संस्था के जनपद में समीपस्थ)

23– विश्वविद्यालय/बोर्ड में पंजीयन कमांक :

24– विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम :

घोषणा पत्र

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त प्रविष्टियां/सूचनाएं सही है व मेरे द्वारा ही भरी गयी हैं, मुझे किसी अन्य स्रोत से दूसरी छात्रवृत्ति प्राप्त नही हो रही है तथा मैं कहीं भी सेवारत नहीं हूँ। यदि सेवारत हूँ तो मेरी एवं मेरे माता पिता अथवा संरक्षक की कुल वार्षिक आय रू0 दो लाख से कम है। मैंने इस संस्था के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं प्रवेश नहीं लिया है। मैं संस्था के शैक्षिक निर्देशों एवं निर्धारित उपस्थिति का समुचित अनुपालन करूंगा।

आवेदन पत्र में दी गयी यदि कोई सूचना एवं संलग्न निवास, आय व जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य अभिलेख गलत पाये जायें तो छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एव शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापस कर दूँगा/दूँगी। यदि ऐसा करने में मैं असफल होता हूँ, तो जिलाधिकारी, राजस्व देयों की भांति इसकी वसूली करने में स्वतंत्र होंगें, एवं संबंधित विभाग मेरे खिलाफ समुचित कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।

माता/पिता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान ....

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर ....

(माता/पिता की मृत्यु की दशा में अभिभावक)

नोट– पात्र अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त प्रपत्र पर सूचनाएं भरकर शपथ पत्र व सभी संलग्नकों सहित आवेदन पत्र निर्धारित अन्तिम तिथि तक शिक्षण संस्था में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र पर शिक्षण संस्थान द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी।

परिशिष्ट–'ग'

छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) हेतु भरे जाने वाले आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अनुलग्नकों का विवरण

1. छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) हेतु साफ अक्षरों में भरा गया सुस्पष्ट आवेदन पत्र।
2. आवेदन पत्र पर चस्पा फोटो पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर किये जाय व संस्थान स्तर से प्रमाणित किया जाय।
3. आय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित)।
4. सामान्य निवास प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित)।
5. जाति प्रमाणपत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित)।
6. पिछले शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
7. यदि दो कक्षाओं के बीच गैप हो तो तद्आशय का शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित।
8. अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र कि उनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के अन्तर्गत है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण पूर्णतया सत्य एवं सही है। किसी भी प्रकार की त्रुटि/गलती पाये जाने पर वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
9. यदि छात्र हॉस्टल में आवासित है तो हॉस्टल द्वारा प्रदान की गयी शुल्क की रसीद की प्रति।
10. छात्र द्वारा जनपद के संस्था के समीपस्थ राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में खोले गये खाते की पासबुक की प्रति।
11. छात्र के माता–पिता अथवा अभिभावक द्वारा 10/– रू0 के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र कि छात्र के आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय प्रमाण पत्र में दर्शायी गयी आय समस्त श्रोतों से है एवं इसके अतिरिक्त आय का कोई श्रोत नहीं है। यदि किसी प्रकार की जांच में दर्शायी गयी आय गलत पायी जाती है, तो उसके लिए हस्ताक्षरकर्ता पूर्णतया जिम्मेदार होगा।

<u>परिशिष्ट–'घ'</u>

छात्र/छात्रा द्वारा देय शपथ पत्र (रू0 10/-- के स्टाम्प पेपर पर)

समक्ष

संस्थाध्यक्ष/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी (जो उचित हो)

मैं.............................पुत्र/पुत्री श्री..जो ग्राम..................मुहल्ला..................... जनपद ....का निवासी हूँ। शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ -

1– यह कि मैं ग्राम.......................मुहल्ला.......................तहसील.....................जिला...............................उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। (सामान्य निवास प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)

2– यह कि मै उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़ा वर्ग का हूँ।

3– यह कि मेरे माता पिता, विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपया दो लाख या इससे कम है।

(तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र/अभिभावक के नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र घोषणा पत्र सहित संलग्न है)

4– यह कि सम्प्रति मैं........................शैक्षिक संस्थान के ....पाठ्यक्रम में ....वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूँ। संस्था...विश्वविद्यालय /बोर्ड से मान्यता प्राप्त है।

5– यह कि मैने उक्त विश्वविद्यालय /बोर्ड में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूँगा।

6– यह कि मैने पिछली परीक्षा.....................वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के संबंध में अलग से शपथ पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है। परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।

7– यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से अधिक लाभप्रद है।

8– यह कि मेरा बचत खाता संख्या..........................बैंक...............................के ....शाखा में खुला हुआ है।

9– उक्त शपथ पत्र में 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में है इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर हमारी मदद करे।

दिनांक :

शपथी के हस्ताक्षर.........................

नाम..

पिता/पति का नाम.......................

पता...

परिशिष्ट–"च"

क्रमांक.....................

दशमोत्तर छात्रवृत्ति (दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति) हेतु आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद

श्री / श्रीमती / कु0.......................................पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.......................................

निवासी..

दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शुल्क प्रतिपूर्ति) की सुविधा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेखों की मूल / स्व–प्रमाणित प्रतियां प्राप्त किया।

(शैक्षणिक संस्था के कार्यालय द्वारा जांच कर टिक अंकित किया जाय)

1– शपथ पत्र की मूल प्रतिः

2– स्थायी निवास के प्रमाण पत्र की छाया प्रति :

3– वर्तमान निवास के प्रमाण पत्र की छाया प्रति :

4– जाति प्रमाणपत्र की छायाप्रतिः

5– आवेदक के माता / पिता / अभिभावक का निर्धारित आय प्रमाण पत्र

6– पिछली परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र

1–...........................

2–...........................

(प्राप्त करने वाले शैक्षिक संस्था के अधिकारी / कर्मचारी के हस्ताक्षर)

नाम..................................

पदनाम..............................

दिनांक ....

परिशिष्ट–"छ"

(शैक्षिक संस्था द्वारा दिया जाने वाला सत्यापन/संस्तुति प्रमाण पत्र)

1– (अ) पाठ्यक्रम के वर्ष की पहली सेमेस्टर/अर्द्धवार्षिक परीक्षा की निर्धारित माह–
(ब) पाठ्यक्रम हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि (अंकों में)................
.... (शब्दों में) ....
(स) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की अवधि – ....

2– पाठ्यक्रम हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदित वार्षिक नान रिफण्डेबुल अनिवार्य शुल्क धनराशि (अंकों में)..(शब्दो में)...

(राज्य सरकार के संबंधित प्रशासकीय विभाग के शासनादेश की संख्या एवं तिथि अंकित किया जाये, जिसके माध्यम से उपरोक्त शुल्क निर्धारित किया गया है एवं प्रति संलग्न करें।)

3– संस्थान की मान्यता का विवरण: (संस्थान द्वारा भरा जाना)

4– पाठ्यक्रम की मान्यता का विवरण : (संस्थान द्वारा भरा जाना)

6– आवेदन पत्र की छाया प्रति के साथ छात्र द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी सूचनाओं की प्रविष्टि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के छात्रवृत्ति साफ्टवेयर में करा दी गयी है एवं उक्त सूचनाओं की हार्ड कापी से शुद्धता का मिलान कर लिया गया है। आवेदन पत्र की मूल प्रति, सूची की हार्ड एवं साफ्ट कापी व समिति की संस्तुति आख्या संलग्न है।

7– मेरे संस्थान में अनुमोदित शुल्क, संस्थान की मान्यता एवं संस्थान के पाठ्यक्रम के अनुमोदन की छाया प्रति सूची के साथ संलग्न है। प्रेषित डाटा की साफ्ट कापी में त्रुटि पाये जाने पर उसके लिए संस्था उत्तरदायी होगी।

8– संस्थान के प्रधानाचार्य की संस्तुति: ....
....

नोट:– संस्थाध्यक्ष द्वारा स्वयं उक्त आवेदन पत्र अग्रसारित किया जायेगा। किसी कार्यवाहक द्वारा अग्रसारित न किया जाय।

हस्ताक्षर संस्थाध्यक्ष
नाम–
मुहर–
दिनांक–

दशमोत्तर छात्रवृत्ति / दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में संस्थान द्वारा संस्तुति अग्रसारण संबंधी शपथ–पत्र

(रू0 10/– के नान–जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र निम्नानुसार उपलब्ध कराया जायेगा)

1. शपथ–पत्र पर संस्थाध्यक्ष का नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर, ई–मेल आई0डी0 एवं प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर विषयक पत्र।
2. विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर पर संस्तुति की हॉर्ड व साफ्ट कापी (सी0डी0) के रूप में।
3. शपथ पत्र पर यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि (हार्ड कापी) में अंकित समस्त छात्रों के आवेदन पत्रों के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न कराये गये हैं। साथ ही साथ आय, निवास एवं जाति प्रमाण पत्र को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट से प्रमाणित भी कर लिया गया है, जो सही है। किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर छात्र सहित संस्थाध्यक्ष पूर्णतया उत्तरदायी होगा।

<u>नोट–</u> किसी भी दशा में उक्तानुसार विवरण रहित शपथ–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

निःशुल्क प्रकाशनार्थ

प्रेसविज्ञप्ति

निदेशक समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–सी0 671 दिनांक 22 मई 2018 के द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन के पत्र संख्या–138/2018/1381/26.03. 2018 दिनांक 18.02.2018 द्वारा वर्ष 2018–19 से केन्द्र पुरोनिधानित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा रू0– 02.00 लाख से बढ़ाकर रू0– 02.50 लाख कर दी गयी है।

(अमित कुमार सिंह)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
फैजाबाद।

कार्यालयः– जिला समाज कल्याण अधिकारी फैजाबाद।
पत्रांक C-398 **/स0क0/दशमो0छात्र0/2018–19 दिनांक** 25-5-18
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–जिलाधिकारी महोदय फैजाबाद को अवलोकनार्थ।
2–मुख्य विकास अधिकारी महोदय फैजाबाद।
3–उपनिदेशक समाज कल्याण फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
4–जिला विद्यालय निरीक्षक फैजाबाद को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने स्तर से भी समस्त शिक्षण संस्थानों को अवगत करानें का कष्ट करें जिससे वो अपने शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत अनु0जाति/अनु0जनजाति के छात्रों को सूचित कर सके।
5–कुल सचिव, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद।
6–कुल सचिव, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद।
7–उपनिदेशक सूचना फैजाबाद को इस अनुरोध के साथ कि जनहित में समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करानें का कष्ट करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
फैजाबाद।

CI
06/06/18

...क विश्वविद्यालय, कु...   दिनांक 10

अनुभाग/कुलपति ...

2441
19.10.12

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी
फैजाबाद।

सेवा में,

कुल सचिव/प्राचार्य
1— डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद।
2— आचार्य नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद।
3— राजकीय पालीटेक्निक, महिला/पुरूष फैजाबाद।
4— राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फैजाबाद।

पत्रांक [illegible] स0क0 / दशमोत्तर छात्रवृत्ति /2012—13 दिनांक 15/10/12

विषय :— उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली—2012 के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण—अनुभाग—3 लखनऊ के शासनादेश संख्या 2207(2)/26—3—2012—4(358)/07—टी0सी0—2 लखनऊ दिनांक 26 सितम्बर 2012 द्वारा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली—2012 निर्गत किया गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि शासनादेश में निहित निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः— यथोक्त।

भवदीय
(राम चन्द्र दुबे)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
फैजाबाद।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1— जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद।
2— उप निदेशक, समाज कल्याण, फैजाबाद मण्डल फैजाबाद।
3— मुख्य विकास अधिकारी फैजाबाद।
4— निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5— जिलाधिकारी महोदय, फैजाबाद को सादर अवलोकनार्थ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
फैजाबाद।

DS२० Registrar 17/211

सचिव-चन्द्रिक

3050 R
18-10-12

DSU

प्रेषक,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : सी-115/स0क0/शिक्षा/2012-13, लखनऊ : दिनांक : 27 सितम्बर, 2012

विषय : उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली 2012 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-2207/26-3-2012-4(358)/07-टी0सी0-2 दिनांक 26.09.2012 द्वारा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली 2012 लागू की गयी है; जिसके कार्यान्वयन के संबंध में शासनादेश सं0-2207(02) दिनांक 26 सितम्बर, 2012 द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रश्नगत नियमावली एवं शासनादेश दिनांक 26 सितम्बर, 2012 की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया शासन के निर्देशानुसार नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समय सारिणी के अनुसार वितरित कराने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(हरि लाल पासी)
निदेशक।

पृष्ठांकित संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(हरि लाल पासी)
निदेशक।

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–2207(2) / 26–3–2012–4(358) / 07–टी0सी0–2

प्रेषक,

सदाकान्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांक: 26 सितम्बर, 2012

विषय : उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली –2012 के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के ऐसे छात्र / छात्राओं, जिनके अभिभावकों की आय रू0 2.00 लाख वार्षिक से अनधिक है, को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के संबंध में संलग्न कार्यालय ज्ञाप संख्या–2207 / 26–3–2012–4(358) / 07–टी0सी0–2, दिनांक 26 सितम्बर, 2012 द्वारा " उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली–2012" जारी की गयी है। माह जुलाई, 2012 से प्रारम्भ शिक्षण सत्र से इस नियमावली के प्राविधान लागू होगें। अतः अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्र / छात्राओं को प्रश्नगत नियमावली के प्राविधानों के अंतर्गत छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाये।

2– प्रश्नगत नियमावली के प्राविधानों को लागू करने के संबंध में शिक्षण सत्र 2012–13 के लिए निम्नलिखित समय–सीमा निर्धारित की जाती है :–

क0सं0	नियमावली के अनुरूप प्रकियात्मक कार्यवाही	निर्धारित अन्तिम तिथि
1	मास्टर डाटाबेस में संस्थाओं एवं पाठयकमों का पंजीकरण	31–10–2012
2	संबंधित छात्र / छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना	30–11–2012
3	शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा अपनी सस्तुति शिक्षा विभाग के संबंधित जनपदीय / क्षेत्रीय अधिकारी को प्रेषित किया जाना	15–12–2012

....2

राकेश पी0ओ0

4	शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारी द्वारा संस्था व पाठयकम की प्रमाणिकता के संबंध में अपनी संस्तुति "छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति" को प्रेषित किया जाना।	31—12—2012
5	"छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति" के स्वीकृत आदेश सहित जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को सूचित किया जाना	15—1—2013
6	छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि संबंधित छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में अंतरित किया जाना	31—1—2013
7	छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के प्रथम चरण का साफ्टवेयर/वेवसाइट को एन0आई0सी0, लखनऊ द्वारा लॉक करने की तिथि	31—1—2013

3— उपरोक्त समय—सारणी के अनुसार छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण किया जाय। प्रथम सेमेस्टर के पश्चात परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा आदि में सम्मिलित होने के पश्चात अगले सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले छात्रों को दूसरे सेमेस्टर की शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय चरण में जनरेट कराकर बेवसाइट पर अलग से निर्मित साफ्टवेयर पर अपलोड कराकर प्रदर्शित कराये जाने के उपरांत निदेशक समाज कल्याण से धनराशि की मांग की जायेगी। द्वितीय चरण की धनराशि को बेवसाइट पर अपलोड कराने की अन्तिम तिथि 01—02—2013 होगी तथा स्वीकृत धनराशि संबंधित छात्र/छात्राओं के खाते में दिनांक 15—02—2013 तक अंतरित कर दी जायेगी।

4— प्रदेश के बाहर स्थित संस्थाओं, उनमें संचालित पाठयकमों तथा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र छात्र/छात्राओं का विवरण जनपद स्तर पर अलग से तैयार कराया जायेगा तथा इस संबंध में निदेशक समाज कल्याण द्वारा एन0आई0सी0 के सहयोग से समुचित साफ्टवेयर तत्काल तैयार कराया जाये।

कृपया नियमावली के प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समय सारणी के अनुसार वितरित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त

भवदीय,

(सदाकान्त) 26/9/12.
प्रमुख सचिव

......3

राकेश पी0ओ0

संख्या— (1) / 26—3—2012 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख सचिव, वित्त / नियोजन / न्याय / उच्च शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा / व्यावसायिक शिक्षा / चिकित्सा शिक्षा / कृषि शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

2— महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3— राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इसकी प्रतियां समस्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को ई—मेल के माध्यम से भेजें।

4— समस्त मण्डलीय संयुक्त एवं उपनिदेशक, समाज कल्याण।

5— समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6— निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

7— सलाहकार, समाज कल्याण विभाग।

8— वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—3।

9— गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(बी0बी0सिंह)
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग–3
संख्या– 2207/26–3–2012–4(358)/07–टी0सी0–2
लखनऊः दिनांकः 26 सितम्बर, 2012

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना
नियमावली–2012

1–	नाम	यह नियमावली उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की नियमावली–2012 कहलाएगी।
2–	उद्देश्य	इस योजना का मुख्य उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या सेकेन्ड्री के बाद की कक्षाओं में विभिन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के गरीब माता–पिता अथवा अभिभावकों के आश्रित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की सुविधा प्रदान करना है।
3–	प्रसार/विस्तार	इस नियमावली से सम्पूर्ण भारत वर्ष में पढ़ने वाले वे छात्र/छात्राएं आच्छादित होंगे, जो उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी/मूल निवासी हो।
4–	प्रारम्भ होने की तिथि	इस नियमावली के प्राविधान माह जुलाई, 2012 से प्रारम्भ होने वाले शिक्षण सत्र से लागू होंगे।
5–	परिभाषा –	
	i – केन्द्र सरकार	"केन्द्र सरकार" का तात्पर्य भारत सरकार से है।
	ii – राज्य सरकार	"राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।
	iii – अभ्यर्थी	'अभ्यर्थी" का तात्पर्य किसी ऐसे विद्यार्थी से है, जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो तथा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था के अन्तर्गत संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में संस्थागत विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो। ऐसे अभ्यर्थी जो पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, इसके लिए अर्ह होंगे। पत्राचार में सुदूर एवं अनुवर्ती शिक्षा शामिल है।
	iv –शिक्षण संस्था व पाठ्यक्रम	"शिक्षण संस्था" का तात्पर्य विधि द्वारा स्थापित अथवा सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त संस्थान से है व "पाठ्यक्रम" का तात्पर्य सम्बन्धित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में संचालित व सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम से है।
	V–अनुसूचित जाति	"अनुसूचित जाति" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद–341 के अर्न्तगत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा

- 1 -

संख्या– (1) /26–3–2012 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

2– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3– राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इसकी प्रतियां समस्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को ई–मेल के माध्यम से भेजें।

4– समस्त मण्डलीय संयुक्त एवं उपनिदेशक, समाज कल्याण।

5– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6– निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

7– सलाहकार, समाज कल्याण विभाग।

8– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3।

9– गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(बी0बी0सिंह)
विशेष सचिव

संख्या— (1) / 26—3—2012 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख सचिव, वित्त / नियोजन / न्याय / उच्च शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा / व्यावसायिक शिक्षा / चिकित्सा शिक्षा / कृषि शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

2— महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3— राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इसकी प्रतियां समस्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को ई—मेल के माध्यम से भेजें।

4— समस्त मण्डलीय संयुक्त एवं उपनिदेशक, समाज कल्याण।

5— समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6— निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

7— सलाहकार, समाज कल्याण विभाग।

8— वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—3।

9— गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(बी0बी0सिंह)
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग–3
संख्या– 2207 / 26–3–2012–4(358) / 07–टी0सी0–2
लखनऊ: दिनांक: 26 सितम्बर, 2012

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली–2012

1–	नाम	यह नियमावली उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की नियमावली–2012 कहलाएगी।
2–	उद्देश्य	इस योजना का मुख्य उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या सेकेन्ड्री के बाद की कक्षाओं में विभिन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के गरीब माता–पिता अथवा अभिभावकों के आश्रित छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की सुविधा प्रदान करना है।
3–	प्रसार / विस्तार	इस नियमावली से सम्पूर्ण भारत वर्ष में पढ़ने वाले वे छात्र / छात्राएं आच्छादित होंगे, जो उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी / मूल निवासी हो।
4–	प्रारम्भ होने की तिथि	इस नियमावली के प्राविधान माह जुलाई, 2012 से प्रारम्भ होने वाले शिक्षण सत्र से लागू होंगे।
5–	परिभाषा –	
	i – केन्द्र सरकार	"केन्द्र सरकार" का तात्पर्य भारत सरकार से है।
	ii – राज्य सरकार	"राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।
	iii – अभ्यर्थी	'अभ्यर्थी" का तात्पर्य किसी ऐसे विद्यार्थी से है, जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो तथा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था के अन्तर्गत संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में संस्थागत विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो। ऐसे अभ्यर्थी जो पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, इसके लिए अर्ह होंगे। पत्राचार में सुदूर एवं अनुवर्ती शिक्षा शामिल है।
	iv –शिक्षण संस्था व पाठ्यक्रम	"शिक्षण संस्था" का तात्पर्य विधि द्वारा स्थापित अथवा सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त संस्थान से है व "पाठ्यक्रम" का तात्पर्य सम्बन्धित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में संचालित व सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम से है।
	v–अनुसूचित जाति	"अनुसूचित जाति" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद–341 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा

उत्तर प्रदेश के लिए जारी अनुसूचित जातियों की अधिसूचना में अंकित जातियों से है।

vi–अनुसूचित जनजाति "अनुसूचित जनजाति" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद–342 के अर्न्तगत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए जारी अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना में अंकित जातियों से है।

vii–बैंक "बैंक"का तात्पर्य किसी ऐसे राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से है, जिसमें कोर बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध हो।

viii –शैक्षणिक सत्र "शैक्षणिक सत्र" का तात्पर्य किसी वर्ष विशेष में समय के ऐसे निर्धारित अन्तराल से है, जिसके अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्धारित नीति के अनुसार शिक्षण कार्य सम्पन्न किया जाता हो।

ix–फ्री सीट केन्द्र अथवा राज्य के सक्षम प्राधिकारी स्तर से आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से या मेरिट की निर्धारित प्रकिया के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सीट।

x –पेड सीट केन्द्र अथवा राज्य के सक्षम प्राधिकारी स्तर से आयोजित प्रवेश परीक्षा से इतर अथवा प्रबन्धकीय कोटे एवं स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रम आदि में भरी गयी सीट।

xi –छात्रवृत्ति का मूल्य सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में छात्रवृत्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित देय धनराशियॉ सम्मिलित होगी:–

(क) अनुरक्षण भत्ता

(ख) अनिवार्य वापस न होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति

(ग) अध्ययन दौरा खर्च

(घ) शोध कार्य का टंकण/मुद्रण खर्च

(च) पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए पुस्तक भत्ता

(छ) विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त भत्ता।

xii–शुल्क (क) "शुल्क" का तात्पर्य ऐसी अनिवार्य धनराशि से है, जो अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड को भुगतान किया जाता है, तथापि जमानती जमा राशि जैसी वापस की जाने वाली धनराशि इसमें शामिल नहीं होगी। शुल्क के अन्तर्गत प्रवेश/पंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा, खेल, यूनियन, लाइब्रेरी, पत्रिका, चिकित्सा जांच और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क आदि शामिल

होंगें।

(ख) जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शक्ति केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की फ्री एवं पेड़ सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।, तथापि पेड सीटों के सापेक्ष छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करते समय, छात्र द्वारा संलग्न किये गये आय प्रमाण पत्र में दर्शायी गयी आय की, जांच अनिवार्य रूप से की जायेगी।

(ग) जिन निजी क्षेत्र के संस्थानों में सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में छात्रों से ली जाने वाली शुल्क के निर्धारण की शक्ति स्वयं शिक्षण संस्थान को प्राप्त है, उन पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को प्रदेश के किसी अन्य निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थान में उसी पाठ्यक्रम में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा संबंधित संस्था द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की धनराशि, जो भी कम हो, भुगतान की जायेगी।

(घ) जो निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थान अपने यहां संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण हेतु सक्षम प्राधिकारी से अधिकृत नहीं हैं व पाठ्यक्रम के शुल्क भी सक्षम प्राधिकारी स्तर से निर्धारित नहीं है, उन संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु प्रमुख सचिव, समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निर्धारित प्रतिपूर्ति दर अथवा संस्थान द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की धनराशि, जो भी कम हो, भुगतान की जायेगी।

6– अर्हता

छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन पात्र होंगें :–

(i) केवल वे ही उम्मीदवार इसके पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित हों अर्थात स्थाई निवासी हों एवं जो उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हों और जिन्होंने किसी मान्यत

प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेन्ड्री या इससे कोई उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

(ii) यह छात्रवृत्तियां निम्नलिखित अपवादों को छोडकर मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पढ़ाये जाने वाले सभी मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर या सेकेन्ड्री के बाद के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए दी जायगी :-

(क) विमान अनुरक्षण इंजीनियर पाठ्यक्रमों

(ख) निजी विमान चालक लाइसेंस पाठ्यक्रमों

(ग) ट्रेनिंग शिप डफरिन (अब राजेन्द्रा) के पाठ्यक्रमों

(घ) सैनिक महाविद्यालय

(च) देहरादून के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों

(छ) अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के पाठयकमों के लिए छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है।

(iii) ऐसे अभ्यर्थी, जिनके माता–पिता अथवा अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा से अधिक् न हो।

(iv) ऐसे अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जो शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय में अध्ययन करने लगें। उदाहरणार्थ–इण्टर आर्टस् करने के बाद इण्टर साईंस करने लगें या बी0ए0 करने के बाद बी0काम करने लगें, या एक विषय में एम0ए0 करने के बाद किसी दूसरे विषय में एम0ए0 करने लगें।

(v) ऐसे छात्र, इसके पात्र नहीं होंगे, जो किसी एक व्यवसायिक पाठ्यक्रम में शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद किसी दूसरे व्यवसायिक पाठ्यक्रम में शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के लिए अध्ययन करने लगें, जैसे– बी0टी0/बी0एड0 के बाद एल0एल0बी0 करने लगें। शैक्षिक वर्ष 1980–81 से दो व्यवसायिक पाठ्यकमों में अध्ययन करने की अनुमति है।

(vi) सतत स्कूल पाठ्यक्रम होने के कारण बहुद्देशीय हाईस्कूल की 12वीं कक्षा के हायर सेकेन्ड्री स्कूल पाठ्यकमों की 11वी कक्षा के छात्र इसके पात्र नहीं होंगे, तथापि, उन मामलों में, जहां ऐसे पाठ्यकमों की 10वी कक्षा की परीक्षा मैट्रीकुलेशन के समकक्ष मानी जाती हो, और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात छात्रों ने अन्य पाठ्यकमों में प्रवेश ले लिया हो, ऐसे छात्रों को

मैट्रिकोत्तर छात्र समझा जायेगा।

(vii) यदि विद्यार्थी इन्टर्नशिप अवधि के दौरान कुछ पारिश्रमिक अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान कुछ भत्ता या वजीफा पा रहे हैं तो एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में इन्टर्नशिप/हाऊस मैनशिप की अवधि के लिए अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(viii) चिकित्सा में स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्र इसके पात्र होंगे, यदि उनके पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान उन्हें प्रैक्टिस करने की अनुमति न दी गयी हो।

(ix) किसी भी मान्यता प्राप्त स्नाकोत्तर या इससे ऊपर के पाठ्यक्रम में सरकारी वृत्तिका(स्टाइपेन्ड) अथवा फेलोशिप पाने वाले छात्र/छात्राएं इसके लिए अर्ह नहीं होंगे।

(x) ऐसे छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जायेंगी, जिन्होंने कला/विज्ञान/वाणिज्य में स्नातक पूर्व/स्नात्कोत्तर परीक्षा अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त व्यवसायिक या तकनीकी प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया हो, बशर्ते कि वह अन्यथा इसके पात्र हों। उसके बाद समूह–1 (परिशिष्ट क में अंकित समूह) के पाठ्यक्रमों को छोड़कर अनुत्तीर्ण होने पर छूट नहीं दी जायेगी।

(xi) उन रोजगार प्राप्त छात्रों को सभी अनिवार्य रूप से देय वापस न की जाने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति की सीमा तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए पात्र बनाया गया है, जिनकी स्वयं की व उनके माता–पिता अथवा संरक्षकों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय अधिकतम निर्धारित वार्षिक आय सीमा से अधिक न हो।

(xii) एक ही माता–पिता अथवा संरक्षक के सभी बच्चे योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(xiii) इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति पाने वाला कोई भी छात्र अन्य छात्रवृत्ति या वजीफा नहीं लेगा। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति या वजीफा प्रदान किया गया हो तो छात्र छात्रवृत्ति या वजीफा दोनों में से किसी एक के लिए जो भी उसके लिए अधिक लाभप्रद हो, अपना विकल्प दे सकता है और दिये गये विकल्प के बारे में सूचना संस्था प्रमुख के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदानकर्ता अधिकारी को देनी चाहिए। छात्र/छात्रा को उस तारीख से, जिससे वह

दूसरी छात्रवृत्ति या वजीफा स्वीकार करता/करती है, इस योजना के अधीन किसी भी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा तथापि, छात्र राज्य सरकार से या किसी अन्य स्रोत से पुस्तकें, उपकरण खरीदने या आवास तथा भोजन व्यवस्था पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए इस योजना के अधीन भुगतान की गयी छात्रवृत्ति की रकम के अतिरिक्त निःशुल्क भोजन या अनुदान या तदर्थ आर्थिक सहायता स्वीकार कर सकता है।

(xiv) वे छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता, जो केन्द्र/राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के साथ किसी परीक्षा–पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में कोचिंग प्राप्त कर रहें हैं, कोचिंग कार्यक्रम की अवधि के लिए कोचिंग योजनाओं के अन्तर्गत वजीफे के पात्र नहीं होंगे।

(xv) जब तक माता पिता में से कोई एक (अथवा विवाहित बेरोजगार के मामले में पति) जीवित हैं, तब तक माता–पिता/पति जैसी भी स्थिति हो, की सभी स्रोतो से प्राप्त आय को ही लिया जायेगा, न कि अन्य सदस्यों की आय को, चाहे वह कमाने वाले ही क्यों न हों। आय घोषणा प्रपत्र में इसी आधार पर आय की घोषणा करना अपेक्षित है। केवल उस मामले में जब माता–पिता दोनों (अथवा विवाहित किन्तु बेरोजगार मामले में पति) की मृत्यु हो जाती है तो उस संरक्षक की आय को लेना होगा, जो विद्यार्थी की पढाई में सहायता कर रहा है। ऐसे छात्र जिनके माता–पिता की आय दुर्भाग्यवश किसी एक की मृत्यु के कारण प्रभावित होती है और इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित आय–सीमा में आ जाती है तो ऐसी दुःखद घटना होने वाले महीने से वह छात्रवृत्ति का पात्र बन जायेगा, बशर्ते वह छात्रवृत्ति की अन्य शर्ते पूरी करता हो, ऐसे छात्रों से छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन पर अनुकम्पा के आधार पर, आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को समाप्त होने के पश्चात भी विचार किया जा सकता है।

(xvi) कामर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स में कामर्शियल हेलीकाप्टर पायलट लाइसेंस कोर्स, तथा कामर्शियल पायलट लाइसेंस के साथ मल्टी इंजन श्रेणी प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवार को छात्रवृत्ति प्राप्त हो जाने के बाद भी ए–320 के तथा समान एयरक्राफ्ट पर प्रशिक्षण हासिल होगा जिसके अन्तर्गत अध्ययनरत अभ्यर्थियों को

केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्र सरकार की स्वीकृति के पश्चात अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा।

7–	मूल निवास का अनुमन्य साक्ष्य	मूल निवास के सम्बन्ध में, आवेदक के निवास की तहसील के उपजिलाधिकारी के स्तर से जारी किया गया 'सामान्य निवास प्रमाण-पत्र मान्य होगा, जो राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो।
8–	माता-पिता/अभिभावकों की आय के संबंध में अनुमन्य साक्ष्य	माता-पिता अथवा अभिभावकों की आय के सम्बन्ध में निम्नलिखित साक्ष्य अनुमन्य होंगे :– (i) माता-पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, के नौकरी में होने की दशा में उनके नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त अतिरिक्त आय को रू0 10/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर घोषित करते हुए शपथ-पत्र के माध्यम से देना होगा। (ii) अभ्यर्थी के माता-पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, उनके नौकरी में न होने की दशा में समस्त स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय के सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र, जो राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो। (iii) अभ्यर्थी के माता-पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, द्वारा लिये जाने वाले मकान किराये भत्ते को "आय" में शामिल नहीं किया जायेगा, यदि इसे आयकर के प्रयोजन के लिए छूट की अनुमति की गयी हो। (iv) आय प्रमाण-पत्र केवल एक बार अर्थात एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रमों में दाखिले के समय ही लिया जायेगा अर्थात् एक वर्ष से अधिक वर्ष के पाठ्यक्रम की समाप्ति तक पुनः आय-प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता न होगी। परन्तु यदि नये पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जाता है तो पुनः आय प्रमाण-पत्र देना होगा। (v) जमा किये जाने वाले आय प्रमाण पत्र की वैधता उस शैक्षणिक सत्र वर्ष की पहली जुलाई को अवधारित की जायेगी।
9–	मास्टर डाटाबेस व संस्थाओं का पंजीकरण कोर्स मास्टर में	(i) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के नाम व विवरण समाज कल्याण विभाग द्वारा शिक्षण संस्थाओं के संदर्भ में संचालित 'मास्टर डाटा बेस' में तथा पाठ्यक्रमों के संबंध में संचालित 'कोर्स

मास्टर' में निर्धारित समय सीमा तक शामिल होने पर ही ऐसी संस्थाओं के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति देय होगी।

(ii) जनपद स्तर पर निर्धारित तिथि तक शैक्षणिक संस्थाओं के नाम मास्टर डाटा बेस में जिलाधिकारी की अनुमति से जोड़े जा सकेंगे। निर्धारित तिथि तक छूट गयी संस्थाओं के सम्बन्ध में उपयुक्त कारण दर्शाये जाने की दशा में जिलाधिकारी की संस्तुति पर एवं निर्धारित तिथि के पश्चात् नवीन मान्यता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के नाम मास्टर डाटा बेस में निर्धारित तिथि से एक माह के अन्दर मण्डलायुक्त की अनुमति से जोड़े जा सकेंगे। इसके पश्चात डाटाबेस में प्रविष्टि की अनुमति देने का अधिकार केवल शासन को होगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई पात्र संस्था छूटने न पाये तथा कोई गलत संस्था मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित न हो सके।

10– **अनुरक्षण भत्ता की निर्धारित दरें**

(i) दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली के अन्तर्गत समय–समय पर निर्धारित समूहवार पाठ्यक्रमवार अनुरक्षण भत्ता की दर व विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त सुविधा व अन्य दरों का जो प्राविधान किया गया है, वह तद्नुरूप लागू रहेगा, जो संलग्नक परिशिष्ट ''क'' में अंकित है।

(ii) उन छात्रों को जो निःशुल्क भोजन और/या निःशुल्क आवास के पात्र हैं व सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं उनको अनुरक्षण भत्ता की दरों का 1/3 अनुरक्षण व्यय दिया जायेगा।

11– **छात्र को अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु शिक्षण संस्थाओं की वरीयता क्रम का निर्धारण**

(i) छात्रवृत्ति हेतु अर्ह छात्रों को अनुरक्षण भत्ता एकमुश्त भुगतान किया जायेगा।

(ii) जिन पाठ्यक्रमों में वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश मिलने की व्यवस्था को, शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि एक मुश्त भुगतान की जायेगी।

(iii) जिन पाठ्यक्रमों में वार्षिक परीक्षा से भिन्न अन्तराल पर होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने के आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश मिलने की व्यवस्था हो, प्रत्येक कक्षा में प्रवेश हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति प्रवेश पाने की पुष्टि के बाद ही की जायेगी। उदाहरण के तौर पर इंजीनियरिंग में सेमेस्टर सिस्टम लागू होने की दशा में प्रत्येक सेमेस्टर की शुल्क प्रतिपूर्ति उस सेमेस्टर में प्रवेश पा लेने के बाद ही की जायेगी।

(iv) सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित

वरीयता क्रम में शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रो को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति उनके द्वारा बैंक में खोले गये बचत खाते में सीधे अन्तरित करके की जायेगी :-

(क) केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार के विभागों/निकायों द्वारा संचालित राजकीय शिक्षण संस्थानों व राजकीय स्वात्तशासीय शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।

(ख) केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार से शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।

(ग) निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है, में फ्री सीट के सापेक्ष प्रवेश पाकर अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।

(घ) निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है, में पेड सीट के सापेक्ष प्रवेश पाकर अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।

(च) निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है, किन्तु संस्थान अपने यहां संचालित पाठ्यक्रम की शुल्क संरचना स्वयं निर्धारित किये जाने हेतु अधिकृत हैं उनमें अध्ययनरत छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति प्रथम आवत प्रथम पावत व्यवस्थानुसार बजट की उपलब्धता की सीमा तक।

नोट :- उपरोक्त (क) से (घ) तक की संस्थाओं के छात्रों को संतृप्त करनें के पश्चात् ही धनराशि अवशेष रहने पर उपलब्ध बजट की सीमा तक उपरोक्त (च) से संबंधित छात्र/छात्राओं को भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

12– अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रकिया

(i) इस योजना में अर्ह छात्रों को सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा नि:शुल्क प्रवेश दिया जायेगा। संस्था में छात्र को प्रवेश मिलने के पश्चात छात्र व संस्था के मध्य शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में संलग्न निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट "ख") पर अनुबन्ध–पत्र निष्पादित किया जायेगा।

(ii) अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने हेतु पात्र छात्र परिशिष्ट "ग" पर संलग्न निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर सूचनाएं भरकर दो प्रतियाँ परिशिष्ट "घ" के अनुसार सभी वांछित संलग्नकों सहित परिशिष्ट "च" के अनुसार शपथ–पत्र सम्बन्धित शिक्षण संस्था में निर्धारित अन्तिम तिथि तक प्रस्तुत करेगा

जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट "छ" के अनुसार शिक्षण संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी।

(iii) अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये आवेदन–पत्र में संलग्न आय, जाति व निवास प्रमाण–पत्रों का सत्यापन राजस्व विभाग की वेबसाईट से, तथा अन्य प्रमाण–पत्रों का मिलान मूल प्रमाण–पत्रों से शिक्षण संस्थान स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए शिक्षण संस्था पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। आवेदन–पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का मिलान किये जाने के उपरान्त सही एवं अर्ह पाये गये आवेदन–पत्रों पर अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु संस्तुति संस्था स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा की जायेगी।

1–संस्था प्रमुख/निदेशक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य– अध्यक्ष
2–संस्था के वरिष्ठतम् प्राध्यापक – सदस्य
3–संस्था के वरिष्ठतम् अनु0जाति के प्राध्यापक– सदस्य

अथवा

संस्था के वरिष्ठतम् अन्य पिछड़ा वर्ग के प्राध्यापक (अनु0 जाति का कोई भी प्राध्यापक उपलब्ध न होने की दशा में)

अथवा

उस संस्था का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित सामान्य श्रेणी का कोई प्राध्यापक (अनु0 जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई भी प्राध्यापक न होने की दशा में)

(iv) उपरोक्त समिति पर संस्तुत छात्रों का निर्धारित विवरण विभाग द्वारा तैयार कराये साफ्टवेयर के डाटाबेस में फीड करनें का उत्तरदायित्व संस्था का होगा। डाटा की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व भी संस्था का ही होगा। फीड कराये गये डाटा की हार्ड एवं साफ्ट कापी (सी0डी0) के साथ परिशिष्ट "ज" के अनुसार सत्यापन प्रमाण–पत्र तथा परिशिष्ट "झ" के अनुसार रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र सहित संस्था के प्रमुख द्वारा अपनी संस्तुति शिक्षा विभाग के संबंधित सक्षम जनपदीय या क्षेत्रीय अधिकारी को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी।

(v) प्रत्येक छात्र के संबंध में आवेदन पत्र की प्रति संबंधित शिक्षण संस्था के कार्यालय में 10 वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी।

(vi) शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा संस्था व पाठ्यक्रमों की प्रमाणिकता एवं आवेदकों की संख्या का परीक्षण किया जायेगा। इसके पश्चात् उपर्युक्त डाटा की हार्ड कापी एवं साफ्ट कापी (सी0डी0) अपनी संस्तुति सहित निर्धारित तिथि से पूर्व छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को प्रेषित की जायेगी।

(vii) जनपद स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति की स्वीकृति हेतु निम्न समिति गठित की जाती है :-

1- जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी अथवा अपर जिला अधिकारी	अध्यक्ष
2- जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
3- जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य सचिव

यह समिति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति कही जायेगी, जो इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति, जिसमें अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भी सम्मिलित है, की स्वीकृति प्रदान करेगी।

(viii) छात्रवृत्ति की स्वीकृति के उपरान्त संबंधित डाटा की हार्ड कापी एवं साफ्ट कापी जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के स्वीकृत आदेश सहित निर्धारित तिथि से पूर्व जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को प्राप्त करायी जायेगी। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति के साफ्टवेयर पर डाटा को प्रोसेस कराकर निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रबन्धन प्रणाली की वेबसाइट पर अपलोड कराया जायेगा।

(ix) निर्धारित रीति से जनपदों को इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत वितरण का दायित्व भी नियम-12(vii) में अंकित छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति का होगा।

(x) अभ्यर्थी को अनुमन्य अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि शैक्षणिक संस्था के समीपस्थ स्थित बैंक में खोले ग[ये] उसके बचत खाते में सीधे अन्तरित की जायेगी। शुल्क प्रतिपू[र्ति] की धनराशि का भुगतान प्रति वर्ष या निर्धारित अन्तराल प[र] जैसा भी लागू हो, किया जायेगा। अभ्यर्थी को शुल्क प्रतिपूर्ति [की] धनराशि उसके खाते में प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर शिक्ष[ण] संस्था को जमा करना अनिवार्य होगा।

- 11 -

(xi) बैंकों का यह उत्तरदायित्व होगा कि उनको उपलब्ध कराई गई धनराशि समय से छात्रों के बैंक खातों में स्थानान्तरित करें, यदि किसी कारणवश धनराशि अवशेष रह जाती है तो उसे समाज कल्याण विभाग के नोशनल एकाउन्ट में यथाशीघ्र वापस करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा वापस की जा रही धनराशि का छात्रवार पूर्ण विवरण जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा वापस प्राप्त धनराशि के विवरण को तत्काल जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत कराकर उत्पन्न समस्याओं का निराकरण कराया जायेगा। इस समस्या के निराकरण हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

13– भुगतान व्यवस्था

(i) संस्था में अध्ययनरत अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक छात्रवृत्ति आवेदन– पत्र जमा करना होगा। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।

(ii) जिला समाज कल्याण अधिकारी व जिला सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा सत्यापनोपरान्त अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रथम किश्त की धनराशि प्रथम चरण में जनरेट कराकर वेबसाइट पर अपलोड कराकर निर्धारित तिथि के अन्दर मांग की जायेगी तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि को अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति के प्रथम चरण का साफ्टवेयर एवं वेबसाइट को राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा लाक कर दिया जायेगा।

(iii) एन0आई0सी0 में अपलोड कराये गये छात्रवृत्ति डाटा के आधार पर साफ्टवेयर द्वारा तैयार किये गये अनुसूची के द्वारा अनुरक्षण भत्ता एवं निर्धारित देय शुल्क की धनराशि की प्रथम किस्त सम्बन्धित छात्र के बैंक खाते में निर्धारित तिथि तक जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अवश्य अन्तरित करा दी जायेगी। उस वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के पश्चात् परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा आदि में सम्मिलित होने के पश्चात् अगले सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं की दूसरे सेमेस्टर की शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय चरण में जनरेट कराकर बेवसाइट पर अलग से निर्मित साफ्टवेयर पर अपलोड कराकर प्रदर्शित होने पर निदेशक, समाज कल्याण से मांग की जायेगी। शुल्क प्रतिपूर्ति

की केवल द्वितीय चरण की धनराशि को ही वेबसाइट पर निर्धारित तिथि तक संबंधित साफ्टवेयर पर अपलोड किया जायेगा व उक्त साफ्टवेयर को निर्धारित तिथि पर एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा पूर्णतया लाक कर दिया जायेगा। द्वितीय चरण की माँग की धनराशि निर्धारित अंतिम तिथि तक जनपदों को प्रेषित की जायेगी। किसी भी जनपद की जंक डाटा आदि के निवारण के पश्चात अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति को वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अपरिहार्य हो, तो संबंधित प्रकरण में निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश की अनुमति के पश्चात राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा अपलोड की कार्यवाही की जायेगी।

(iv) शुल्क प्रतिपूर्ति की द्वितीय चरण की धनराशि को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा यथासम्भव माह–मार्च के अंत से पूर्व छात्रों के बैंक खाते में अन्तरित करायी जायेगी।

(v) अनुरक्षण भत्ता 01 अप्रैल अथवा नामांकन के महीने, जो भी बाद में हो, से शैक्षणिक वर्ष के अन्त में उस महीने तक जिसमें परीक्षायें पूरी होती हैं, देय होंगे। बशर्ते यदि विद्यार्थी किसी महीने के 20 तारीख के बाद नामांकन कराता है तो राशि नामांकन के महीने के बाद आने वाले महीने से दी जायेगी।

(vi) गतवर्ष दी गयी छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के मामले में, यदि पाठ्यक्रम जारी रहता है तो छात्रवृत्ति उस महीने के अगले महीने से दिया जायेगा, जिस महीने तक गत वर्ष भुगतान किया गया था।

छात्रवृत्ति की अवधि व नवीनीकरण

(i) एक बार दी गयी छात्रवृत्ति उसको दिये जाने के चरण से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक देय होगी। बशर्ते कि छात्र का आचरण अच्छा रहे तथा उपस्थिति में नियमितता रहे। यह छात्रवृत्ति वर्षानुवर्ष नवीनीकृत होगी, परन्तु शर्त यह है कि एक ऐसे पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में जो अनेक वर्षों तक सतत चलता रहता है, छात्र हर वर्ष उत्तीर्ण होकर उच्चतर कक्षा में पहुंचता रहे। परीक्षायें भले ही विश्वविद्यालय द्वारा ली जाए अथवा संस्था द्वारा। किसी भी स्थिति में पाठ्यक्रम की अवधि से अधिक की छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।

(ii) समूह–1 के पाठ्यक्रम वाला छात्र यदि पहली बार परीक्षा मे असफल रहता है तो छात्रवृत्ति का नवीनीकरण किया जा सकत

है। किसी भी कक्षा में दूसरी बार अथवा तत्पश्चात असफल होने पर विद्यार्थी को अपना खर्च तब तक स्वयं वहन करना होगा जब तक अगली उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत नहीं हो जाता।

(iii) यदि छात्र अस्वस्थता अथवा किसी अन्य अप्रत्याशित घटना के कारण परीक्षा में बैठने में असमर्थ रहता है तो चिकित्सा प्रमाण–पत्र तथा/अथवा संस्था के प्रमुख की संतुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करने पर तथा उसके द्वारा (संस्था के प्रमुख) यह प्रमाणित करने पर कि यदि छात्र परीक्षा में बैठता तो वह उत्तीर्ण हो जाता, छात्रवृत्ति अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए नवीनीकृत की जायेगी।

(iv) यदि विश्वविद्यालय/संस्था के विनियमों के अनुसार एक छात्र को अगली उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाता है, चाहे वह निचली कक्षा में वास्तविक रूप में उत्तीर्ण न हुआ हो, तथा उसके द्वारा निचली कक्षा में कुछ समय पश्चात दोबारा परीक्षा देना अपेक्षित हो, तो यदि वह विद्यार्थी अन्यथा छात्रवृत्ति के लिए पात्र हो तो वह उस कक्षा में छात्रवृत्ति पाने का हकदार होगा, जिस कक्षा में उसे प्रोन्नत किया गया है।

15– छात्रवृत्ति के लिए अन्य शर्तें

(i) छात्रवृत्ति, अभ्यर्थी की संतोषजनक प्रगति एवं आचरण पर निर्भर है। यदि किसी समय संस्थान प्रमुख द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई अभ्यर्थी स्वयं अपने आचरण अथवा चूक के कारण संतोषजनक प्रगति करने में असफल रहा है अथवा उसे दुर्व्यवहार जैसे– हडताल करने या उसमें भाग लेने, सम्बन्धित प्राधिकारियों की अनुमति के बगैर उपस्थिति में अनियमितता आदि का दोषी पाया गया है तो छात्रवृत्ति संस्वीकृत करने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृत्ति रद्द कर सकता है अथवा रोक सकता है या ऐसी अवधि, जो वह उचित समझे, तक के लिए आगे का भुगतान रोक सकता है।

(ii) यदि यह पाया जाता है कि छात्र ने झूठी घोषणा से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त की है तो उसकी छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति तुरन्त रद्द कर दी जायेगी और समाज कल्याण विभाग अपने विवेक से भुगतान की गयी छात्रवृत्ति की धनराशि वसूल कर सकेगा। सम्बन्धित छात्र को काली सूची में सूचीबद्ध किया जायेगा और किसी भी योजना में छात्रवृत्ति से हमेशा के लिए वंचित कर दिया जायेगा तथा छात्र के विरूद्ध उचित धाराओं में

विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(iii) प्रदत्त छात्रवृत्ति रद्द की जा सकती है, यदि छात्र उस पाठ्यक्रम का विषय बदल देता है, जिसके लिए वह छात्रवृत्ति मूलतः दी गयी थी, अथवा छात्र राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन बगैर अध्ययन की संस्था को बदल लेता है। संस्था प्रमुख ऐसे मामलों के बारे में विभाग को सूचित करेगा ताकि विभाग छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान रोक देगा। राज्य सरकार के विवेक से पहले भुगतान की गयी धनराशि भी वसूल की जा सकती है।

(iv) छात्र द्वारा यदि अध्ययन वर्ष के दौरान यदि वह अध्ययन जिसके लिए वह छात्रवृत्ति दी गयी है, छोड दिया जाता है तो विभाग के निर्णय पर छात्र को छात्रवृत्ति की धनराशि वापस करनी होगी।

16– **संबंधित शिक्षा विभागों का दायित्व**

(i) प्रदेश की विभिन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में पढाये जाने वाले मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों एवं उनके शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार के प्रशासकीय शिक्षा विभाग यथा– माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, व्यवसायिक शिक्षा विभाग, कृषि शिक्षा विभाग, एवं स्टेट मेडिकल फैकेल्टी तथा यदि कोई अन्य विभाग हो तो उनके द्वारा किया जायेगा।

(ii) उपरोक्तानुसार सम्बन्धित विभागों द्वारा निर्धारित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क का विवरण सम्बन्धित विभाग के जनपद स्तरीय/क्षेत्रीय अधिकारी अथवा संस्था द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी को मास्टर डाटाबेस में अपलोड कराने हेतु अपनी संस्तुति सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) सभी संबंधित विभाग अपने विभाग के जनपद स्तरीय अथवा क्षेत्रीय अधिकारियों से नियम–12 के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।

17– **जनपद स्तर पर अनुश्रवण**

(i) छात्रवृत्ति योजना के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण किये जाने हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत् समिति गठित की जाती है:–

(1) जिलाधिकारी	अध्यक्ष
(2) जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति का अध्यक्ष	उपाध्यक्ष
(3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी	सदस्य

(4) जनपद में स्थित रा0 विश्वविद्यालय
के प्रतिनिधि, यदि कोई हो

(5) जनपद में स्थित रा0 मेडिकल कालेज के प्राचार्य, यदि कोई हो — सदस्य

(6) जनपद में स्थित रा0 इंजी0 कालेज के प्राचार्य, यदि कोई हो — सदस्य

(7) जनपद में स्थित किसी एक राजकीय पालीटेक्निक के प्राचार्य, यदि कोई हो — सदस्य

(8) जिला विद्यालय निरीक्षक — सदस्य

(9) जिला सूचना विज्ञान अधिकारी(NIC) — सदस्य

(10) जिला समाज कल्याण अधिकारी — सदस्य / सचिव

(ii) उक्त समिति छात्रवृत्ति के मास्टर डाटा में संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों तथा उनके शुल्क संरचना व शुल्क निर्धारण का स्व विवेक से सत्यापन करायेगी। समिति की बैठक प्रतिमाह की जायेगी तथा प्रत्येक माह कृत कार्यवाही विषयक आख्या मासिक प्रगति रिपोर्ट के साथ निदेशक समाज कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) उक्त समिति निम्नलिखित मामलों में शत–प्रतिशत सत्यापन करायेगी –

क– पाठ्यक्रमवार कुल अनुमोदित सीटों के सापेक्ष किसी भी पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों का प्रवेश लेने वाली निजी क्षेत्र की संस्थाएँ।

ख– जिन निजी क्षेत्र की संस्थाओं की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल शुल्क प्रतिपूर्ति की माँग एक करोड़ रूपये या उससे अधिक हो।

उक्त के अतिरिक्त समिति स्व विवेक से रैण्डम आधार पर अथवा शिकायतें प्राप्त होने पर किसी भी शैक्षिक संस्था की जाँच अथवा सत्यापन भी करा सकेगी।

(iv) जिन अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र, नियमों के अन्तर्गत न होने के कारण अस्वीकृत होते हैं, ऐसे अस्वीकृत किये गये आवेदन–पत्रों के सम्बन्ध में छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा अस्वीकृति के कारणों सहित जानकारी संस्था के माध्यम से छात्रों को ससमय उपलब्ध करायी जायेगी। सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित छात्र, जिलाधिकारी को अपील कर सकेगा।

जिलाधिकारी उस अपील पर सकारण लि[illegible] ारित करेगा। जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा। पारित आदेश के अन्तर्गत अनर्ह अभ्यर्थियों को अध्ययन के लिए आवश्यक शुल्क स्वयं वहन करना होगा।

18– प्रदेश के बाहर दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति की वितरण प्रकिया

अन्य प्रांतों में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि की स्वीकृति एवं वितरण का कार्य निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा :–

(i) छात्र जिस जनपद का मूल निवासी है, उसी जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को छात्रवृत्ति आवेदन पत्र संस्था द्वारा संस्तुति सहित भेजा जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी स्तर पर छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों, संलग्नक समस्त प्रमाण–पत्रों एवं सम्बन्धित छात्र का स्थानीय स्थलीय सत्यापनोपरान्त स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही इस नियमावली में अंकित व्यवस्थाओं के अनुरूप उस जनपद की छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति द्वारा की जायेगी, जो नियम–12(vii) के अन्तर्गत गठित की गयी है।

(ii) ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृति से पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित छात्र उत्तर प्रदेश की किसी शिक्षण संस्था में पंजीकृत अथवा अध्ययनरत तो नहीं है

(iii) प्रदेश के बाहर स्थित संस्थाओं, उनमें संचालित पाठ्यक्रमों तथा छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्रों का अलग विवरण तैयार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में समाज कल्याण विभाग द्वारा समुचित साफ्टवेयर तैयार कराया जायेगा।

19– संशोधन का अधिकार

(i) इस नियमावली के प्राविधानों में यथावश्यक संशोधन करने एवं किसी भी कठिनाई निवारण करने की शक्ति मा0 मुख्य मंत्री जी में निहित होगी।

आज्ञा से,

(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट "क"

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2010 से समूहवार पाठ्यक्रम का विवरण

समूह	पाठ्यक्रम
I	डिग्री व मास्टर डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम एम0फिल0–पी0एच0डी0 समस्त चिकित्सा पद्धति के पाठ्यक्रम,प्रौद्योगिकी, इंजीनिरिंग, प्लानिंग, आर्किटेक्चर, डिजाइन, फैशन टेक्नालोजी, कृषि, पशुचिकित्सा, एलाइड साइंस, व्यवसाय वित्त, मैनेजमेंट, प्रशासन, कम्प्यूटर सांइस आदि पाठ्यक्रम, सी0पी0एल0 पाठ्यक्रम, मैनेजमेंट चिकित्सा के परास्नातक स्तरीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, सी0ए0, आई0सी0डब्लू0ए0, सी0एस0, आई0सी0एफ0ए0, एल0एल0एम0, डी0लिट्0, डी0एस0सी0 आदि
II	स्नातक / परास्नातक स्तरीय डिग्री, डिप्लोमा, सार्टिफिकेट पाठ्यक्रम यथा फार्मेसी, नर्सिंग, एल0एल0बी0, बी0एफ0एस0, पैरामेडिकल यथा–पुनर्वास, निदान आदि, मास कम्यूनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, इंटीरियर डेकोरेशन, न्यूट्रेशन एण्ड डाइटेटिक्स, कामर्शियल आर्ट, टूरिज्म हास्पिटैलिटी, फाइनैन्शियल सर्विसेज(ई0जी0बैंकिग इंश्योरेंस, टैक्सटायेनेटिक) जिसमें न्यूनतम प्रवेश योग्यता इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष हो तथा परास्नातक पाठ्यक्रम जो समूह–1 में सम्मिलित न हो। यथा– एम0ए0 / एम0एस0सी0 / एम0काम / एम0एड0 / एम0 फार्मा आदि
III	समस्त स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम जो समूह–I व II में सम्मिलित न हो, यथा बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0काम आदि
IV	समस्त नान डिग्री स्तरीय कोर्स, जिनमें न्यूनतम प्रवेश योग्यता हाईस्कूल हो, आई0टी0आई0 तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स (पॉलीटेक्निक) आदि

अनुरक्षण भत्ता की दरें (मासिक)

क0सं0	समूह	डे स्कालर	हास्टलर
1	I	550	1200
	II	530	820
	III	300	570
	IV	230	380

अन्य भत्ते (एक बार)

क0सं0	विवरण	दर
1	अध्ययन दौरा	1600
2	शोध कार्य के टंकण एवं मुद्रण	1600
3	पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु पुस्तक भत्ता	1200

विकलांग छात्रों हेतु मासिक भत्ते

क0सं0	विवरण	दर
1	दृष्टिहीन छात्रों के लिए पाठक भत्ता	समूह –1 व 2 – 240 समूह –3 – 200 समूह –4 – 160
2	यदि छात्र उस हास्टल में नहीं रहता है तो शिक्षण संस्था के परिसर में स्थित हो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अनुसार विकलांगता की परिभाषा दृष्टिहीनता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण विकलांगता, चलन संबंधी विकलांगता, मानसिक अवरूद्धता तथा मानसिक रूग्णता के रूप में की गई है	160
3	लो एक्सटिमिटी विकलांगता वाले अत्याधिक विकलांग दिवा छात्र के लिए आरक्षी भत्ता, किसी शिक्षण संस्था के छात्रावास में रहने वाले किसी अत्यधिक अस्थि विकलांग छात्र को, जिसे किसी सहायक की सहायता की आवश्यकता हो, सहायता प्रदान करने के इच्छुक उस छात्रावास के किसी कर्मचारी के लिए विशेष वेतन अनुज्ञय होगा।	160
4	मानसिक अवरूद्व और मानसिक रूप से रूग्ण छात्रों को अतिरिक्त कोचिंग हेतु भत्ता	240

परिशिष्ट–"ख"

छात्र एवं संस्था के मध्य अनुबंध पत्र
(निर्धारित दर पर नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक........................ को (1) कु0/श्रीमती/श्री ....आयु...............वर्ष..................पुत्री/पत्नी/पुत्र श्री... जाति ....निवासी ग्राम/मु0..................................डाकखाना.................................. तहसील.......................जिला..............................जिसे एतत्पश्चात प्रथम पक्ष कहा गया है।

एवं

(2)..(संस्थाध्यक्ष) पता... जनपद.......................... (जहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत है) जो केन्द्र /राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसे एतत्पश्चात द्वितीय पक्ष कहा गया है। उसके मध्य निष्पादित किया जाता है।

चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दशमोत्तर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति संबंधी योजना संचालित है, जिसकी पात्रता संबंधी शर्ते आदि दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नियमावली 2012 में उल्लिखित है। उक्त नियमावली के आलोक में दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करते हैं :–

1– द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अपनी शैक्षिक संस्थान में निःशुल्क प्रवेश उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2012 के अनुपालन में देगा।

2– प्रथम पक्ष, संदर्भित संस्था में प्रवेश पाने पर निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र पर समस्त वांछित अभिलेखों सहित संस्था में जमा करेगा एवं द्वितीय पक्ष द्वारा नामित अधिकारी प्रथम पक्ष को निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद देगा।

3– द्वितीय पक्ष उपर्युक्त नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम पक्ष की छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु वाँछित कार्यवाही सम्पन्न करायेगा।

4– प्रथम पक्ष के बैंक खाते में नियमावली के अनुसाद देय छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि जमा हो जाने पर प्रथम पक्ष विलम्बतम 15 दिन के अंदर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय पक्ष के पक्ष में अन्तरित कर देगा।

5– प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों का कडाई से अनुपालन करेगा।

6– प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों को छोडकर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा जो भी हो, में प्रतिभाग करेगा।

7– उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2012 की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष की संस्था को देय समस्त शुल्क वहन करने का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।

प्रथम पक्ष : हस्ताक्षर..............................
नाम..................................
पिता/पति का नाम............................
पता..................................

द्वितीय पक्ष हस्ताक्षर..............................
नाम..व पदनाम ....
पिता /पति का नाम.....................
पता....................................

साक्षी सं0–1
हस्ताक्षर..............................
नाम..................................
पिता /पति का नाम....................
पता..................................

साक्षी सं0–2 :–
हस्ताक्षर..................................
नाम.व पदनाम....................................
पिता/पति का नाम.........................
पता...

परिशिष्ट–"ग"

अनुसूचित जाति एवं जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) हेतु आवेदन पत्र

(अभ्यर्थी द्वारा भरी जाने वाली प्रविष्टिया)

(आवेदन पत्र हिन्दी में स्पष्ट रूप से भरा जाय)

छात्र का स्वहस्ताक्षरित व संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित फोटो

1– छात्र/छात्रा का पूरा नाम :

(हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)

2– पिता/पति का नाम :

(अ) पाठ्यक्रम का प्रकार : (संस्थागत/पत्राचार):

3– जन्मतिथि :

4– लिंग (पुरूष/महिला)

5– हाईस्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष .... बोर्ड का नाम ....

6– हाईस्कूल का अनुकमांक :

7– विद्यालय /संस्था का नाम व पता :

8– शिक्षा सत्र ....

(प्रवेश की तिथि)..........................

9– पाठ्यकम का नाम :......................पाठ्यकम का वर्ष......................पाठ्यकम की अवधि................

10– अभ्यर्थी के सेवारत होने की स्थिति में व्यवसाय व वार्षिक आय ....

11– आवासीय स्थायी पता :

12– पत्र व्यवहार का पता :

13– मोबाइल नं0:

14– दूरभाष/ई–मेल (अनिवार्य)

15– पिता का व्यवसाय व वार्षिक आय.................................. माता का व्यवसाय व वार्षिक आय..................................

16– विधिक अभिभावक का नाम, व्यवसाय तथा वार्षिक आय ....

(यदि माता/पिता जीवित न हों)

17– जाति......................... उपजाति .... धर्म ....

(1–अनुसूचित जाति, 2–अनुसूचित जनजाति)

18– जाति प्रमाण पत्र का कमांक :

19– आय प्रमाण पत्र का कमांक :

20– निवास प्रमाण पत्र का कमांक :

21– कक्षा में प्रवेश का प्रकार : (फ्री सीट/स्ववित्त पोषित या पेड सीट)

22– छात्र का खाता सं0........................ बैंक का नाम.............................शाखा का नाम......................
(शैक्षिक संस्था के जनपद में समीपस्थ)

23– विश्वविद्यालय/बोर्ड में पंजीयन कमांक :

24– विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम :

घोषणा पत्र

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त प्रविष्टियां/सूचनाएं सहीं है व मेरे द्वारा ही भरी गयी हैं, मुझे किसी अन्य स्रोत से दूसरी छात्रवृत्ति प्राप्त नही हो रही है तथा मैं कहीं भी सेवारत नहीं हूँ। यदि सेवारत हूँ तो मेरी एवं मेरे माता पिता अथवा संरक्षक की कुल वार्षिक आय रू0 दो लाख से कम है। मैंने इस संस्था के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं प्रवेश नहीं लिया है। मैं संस्था के शैक्षिक निर्देशों एवं निर्धारित उपस्थिति का समुचित अनुपालन करूंगा।

आवेदन पत्र में दी गयी यदि कोई सूचना एवं संलग्न निवास, आय व जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य अभिलेख गलत पाये जायें तो छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एव शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापस कर दूँगा/दूँगी। यदि ऐसा करने में मैं असफल होता हूँ तो विभाग मेरे द्वारा देय राशि की राजस्व देयों की भांति वसूली करने हेतु एवं मेरे विरूद्ध विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।

माता/पिता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान.............. **छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर..............**
(माता/पिता की मृत्यु की दशा में अभिभावक)

नोट– पात्र अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त प्रपत्र पर सूचनाएं भरकर शपथ पत्र व सभी संलग्नकों सहित आवेदन पत्र निर्धारित अन्तिम तिथि तक शिक्षण संस्था में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र पर शिक्षण संस्थान द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी।

परिशिष्ट–"घ"

छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एव शुल्क प्रतिपूर्ति) हेतु भरे जाने वाले आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अनुलग्नकों का विवरण

1. छात्रवृत्ति(अनुरक्षण भत्ता एव शुल्क प्रतिपूर्ति) हेतु साफ अक्षरों में भरा गया सुस्पष्ट आवेदन पत्र।
2. आवेदन पत्र पर चस्पा फोटो पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर किये जाय व संस्थान स्तर से प्रमाणित किया जाय।
3. आय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित)।
4. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित)।
5. सामान्य निवास प्रमाण पत्र(सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित)।
6. पिछले शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
7. यदि दो कक्षाओं के बीच गैप हो तो तद्आशय का शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित।
8. अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र कि उनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के अन्तर्गत है और उनका प्रवेश संस्थान में निःशुल्क लिया गया गया है तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण पूर्णतया सत्य एवं सही है। किसी भी प्रकार की त्रुटि/गलती पाये जाने पर वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
9. यदि छात्र हॉस्टल में आवासित है तो हॉस्टल द्वारा प्रदान की गयी शुल्क की रसीद की प्रति।
10. छात्र द्वारा जनपद के संस्था के समीपस्थ राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मे खोले गये खाते की पासबुक की प्रति।
11. छात्र के माता–पिता अथवा अभिभावक द्वारा 10/– रू0 के नान जूडिशियल स्टाम पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र कि छात्र के आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय प्रमाण पत्र में दर्शायी गयी आय समस्त श्रोतों से है एवं इसके अतिरिक्त आय का को श्रोत नहीं है। यदि किसी प्रकार की जांच में दर्शायी गयी आय गलत पायी जाती है तो उसके लिए हस्ताक्षरकर्ता पूर्णतया जिम्मेदार होगा।

परिशिष्ट–"च"

छात्र/छात्रा द्वारा देय शपथ पत्र (रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर)

समक्ष

संस्थाध्यक्ष/जिला समाज कल्याण अधिकारी (जो उचित हो)

मैं..............................पुत्र/पुत्री श्री..जो ग्राम........................मुहल्ला................... जनपद ....का निवासी हूँ। शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ:–

1– यह कि मैं ग्राम..........................मुहल्ला..........................तहसील........................जिला.............................. उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। (सामान्य निवास प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)

2– यह कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हूँ। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न है)

3– यह कि मेरे माता पिता, विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपया दो लाख या इससे कम है।
(तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र/अभिभावक के नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र घोषणा पत्र सहित संलग्न है)

4– यह कि सम्प्रति मैं..........................शैक्षिक संस्थान के .... पाठ्यक्रम में ....वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूँ। संस्था.. ....विश्वविद्यालय /बोर्ड से मान्यता प्राप्त है।

5– यह कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय /बोर्ड में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूँगा।

6– यह कि मैंने पिछली परीक्षा......................वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के संबंध में अलग से शपथ पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है। परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।

7– यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से अधिक लाभप्रद है।

8– यह कि मेरा बचत खाता संख्या..............................बैंक..................................के ....शाखा में खुला हुआ है।

9– यह कि उक्त संस्था द्वारा मुझे निःशुल्क प्रवेश दिया गया है। उक्त शपथ पत्र में 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में हैं इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर हमारी मदद करे।

दिनांक :

शपथी के हस्ताक्षर.............................
नाम..
पिता/पति का नाम.......................
पता..

परिशिष्ट–"छ"

क्रमांक....................

छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) हेतु आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद

श्री / श्रीमती / कु0...पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री..
निवासी...

दशमोत्तर छात्रवृत्ति(अनुरक्षण भत्ता एव शुल्क प्रतिपूर्ति) की सुविधा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेखों की मूल /स्व–प्रमाणित प्रतियां प्राप्त किया।

(शैक्षणिक संस्था के कार्यालय द्वारा जांच कर टिक अंकित किया जाय)

1– शपथ पत्र की मूल प्रतिः

2– स्थायी निवास के प्रमाण पत्र की छाया प्रति :

3– वर्तमान निवास के प्रमाण पत्र की छाया प्रति :

4– जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति (केवल अनु0जाति / अनु0जनजाति अभ्यर्थियों हेतु)

5– आवेदक के माता / पिता / अभिभावक का निर्धारित आय प्रमाण पत्र

6– पिछली परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र

1–............................

2–............................

(प्राप्त करने वाले शैक्षिक संस्था के अधिकारी / कर्मचारी के हस्ताक्षर)

नाम....................................
पदनाम................................
दिनांक ....